लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड,देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2018–19

प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी, संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की है। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एंव हकदारी) खण्ड-I के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का 2018-19 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा त्रितीय भाग में वर्ष 2018–19 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमिताओं को वृहत्तर विवरण के साथ वर्णित किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

सन्दीप सिंह

स्थानः देहरादून
दिनांकः 14·01·2020

(संदीप सिंह)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन	**1**
2	मुख्य अंश	**3**
3	भाग-**1** प्रस्तावना	**4** से **6**
4	भाग-**2** लेखा विसंगतियां	**7** से **11**
5	भाग-**3** कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियां	**12** से **31**
6	परिशिष्ट- **1** से 22	**32** से **68**

मुख्य अंश

1	कोषागार अतंरापृष्ठीय **(Treasury Interface)** के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.1)**
2	सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹ **353.33** करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।	**(पैरा 2.2)**
3	त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमिया एवं विसंगतियां	**(पैरा 2.4)**
4	वर्ष **2018-19** में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण	**(पैरा 3.1)**
5	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.2.1)**
6	पी0एल0ए0 से एक मुश्त धनराशि का आहरण।	**(पैरा 3.2.5.1)**
7	पी0एल0ए0 खातो से ₹ **27.14** करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।	**(पैरा 3.2.5.5)**
8	राज्य आकस्मिकता निधि से रू **140** करोड़ को आहरण अग्रिम के रूप में किया गया तथा उसे योजनागत मद मे व्यय करना।	**(पैरा 3.2.11)**
9	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आर0बी0आई0 पोर्टल से रू **15.06** करोड़ अस्वीकृत भुगतानों के कारण त्रुटिपूर्ण लेखाओं की प्रस्तुति।	**(पैरा 3.2.13.2)**
10	रू **13,70,479/-** के दायित्वों का भुगतान न हो पाने के कारण अगले वित्तीय वर्ष हेतु धनराशियों का व्यवर्तन।	**(पैरा 3.2.13.3)**
11	शासकीय धन को कोषागार में तुरंत शासकीय खातों में जमा न करना।	**(पैरा 3.2.15)**

भाग–एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

''भाग-1 : प्रस्तावना''

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,** उत्तराखण्ड, देहरादून के नियंत्रण में हैं। मण्डल/ज़िला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भांति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

1.2 संरचना/ संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2018-19 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर ट्रेजरी एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत हैं तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत हैं।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक/ सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सीव्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 वर्ष 2018-19 में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्यों में उत्तराखण्ड में लोकसभा चुनाव के कारण केवल एक उपकोषागार जखोली को छोड़कर शत–प्रतिशत पूर्ति की गयी है।

1.3.2 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष में काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 35.86 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2016-17	925	674	251	27.14
2017-18	923	612	311	33.69
2018-19	923	592	331	35.86

निदेशालय कोषागार की सूचना के अनुसार वर्ग 'ग' को छोड़कर अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर कार्य में सक्षम है। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवत हैं:–

वर्ष	कार्यरत	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण का प्रतिशत दर
2016-17	674	603	89.47
2017-18	612	544	88.89
2018-19	592	537	90.71

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

''भाग-2 : लेखा विसंगतियां''

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियां

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत है:

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रानिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों के अंकन में निम्न कमियां/विसंगतियां पायी गयीं

2.1.1 Header और Detail में अन्तर: ई–कोश, ई–मेल और कोषागारों से सीडी या पेन ड्राईव से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में कभी कभी किसी कोषागार से सम्बन्धित वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है।

2.1.2 मुख्य लेखाशीर्ष 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और 7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का सहायक शीर्ष (कनेक्टिंग हेड) HO2 इन्टरफेस से नहीं खुलता है। इन लेखाशीर्षों की डाटा फीडिंग अभी भी मैन्युअली (हाथ से) करनी पड़ती है। वाउचर की Hard Copy में वेतन देयक से भिन्न अन्य देयक 'ख' के अन्तर्गत Object Head 01 वेतन वाले वाउचर में कनेक्टिंग हेड का वर्गीकरण अंकित नहीं पाया जाता है। साथ–साथ मद–मानदेय (07) को भी मद वेतन (01) के रूप में अंकित किया जाता है।

2.1.3 मुख्य लेखाशीर्ष 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय की अनुदान संख्या भी इन्टरफेस से गलत खुलती है।

2.1.4 वाउचर स्क्रीन में वाउचर टाईप जैसे TA(Travel/LTC), GIA(Grants-in-Aid), ACB(AC Bill), NIL(Nil Payment Voucher) इत्यादि का अंकन नहीं रहता है एवं मैन्युअल वाउचर पर भी वाउचर टाईप अंकित नहीं रहता है जिसके कारण वाउचरों के पुस्तांकन में कठिनाई होती है तथा मासिक लेखों की शुद्धता भी प्रभावित होती है। ए0सी0 बिलों के कार्यालय आदेश में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5, भाग-2 के पैरा 249 व 162 का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होता है। सहायक अनुदान के वाउचरों के साथ संलग्न कार्यालय आदेश में Grant का प्रकार यानि Conditional/Unconditional, का उल्लेख नहीं रहता है।

2.1.5 कोषागारों से प्राप्त हुए कुछ वाउचरों में मतदेय/भारित का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है।

2.1.6 मुख्य लेखाशीर्ष 2049–ब्याज अदायगी एवं 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के डी0डी0ओ0 कोड वाउचर पर अंकित डी0डी0ओ0 कोड से भिन्न कोड पर खुलते हैं, तथा सम्बन्धित अनुदान संख्या भी वाउचर पर अंकित अनुदान संख्या से भिन्न खुलती है।

2.1.7 वाउचर के डिटेल सूची में कभी–कभी डुप्लीकेट वाउचर पाये जाते हैं। मुख्य लेखाशीर्ष – 8000 आकस्मिक निधि के ई–डाटा एवं मैन्युअल वाउचर के Connecting शीर्ष में अन्तर होता है।

2.1.8 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे प्रकरण, जिनके मासिक लेखे में सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न में प्राप्त लेखाशीर्ष 8009-01-101-02 में प्रदर्शित हो रहा है, किन्तु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या चतुर्थ श्रेणी के होने के कारण उनकी पोस्टिंग इस कार्यालय द्वारा लेखाशीर्ष 8009-01-101-01 में ट्रांसफर एन्ट्री के द्वारा की जाती है। ऐसे प्रकरणों का माह–वार विवरण परिशिष्ट-02 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट-02)

2.1.9 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न के 05 शेड्यूल अप्राप्त हैं।

(परिशिष्ट-03)

2.2 सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹ 353.33 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	254	986.14	253	985.22	1	0.92
2017-18	225	382.61	201	345.88	24	36.73
2018-19	122	479.16	28	163.48	94	315.68
योग	**601**	**1847.91**	**482**	**1494.58**	**119**	**353.33**

2.3 मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2018-19 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट-04** में दर्शाया गया है।

2.4 त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैन्युअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ DDOs के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2018-19 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन मुख्य नियंत्रक अधिकारियों के वित्तीय वर्ष 2018-19 में मिलान स्थिति

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीस त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	16	29	21	28	23	35	48	62
आशिंक मिलान	08	14	08	20	08	15	00	00
मिलान नहीं कराया	24	19	19	14	17	12	00	00
कुल	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**	**00**	**00**
मिलान आख्या (प्रतिशत् में)	**50**	**69.35**	**60.42**	**77.42**	**64.58**	**80.64**	**100**	**100**

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय–व्यय मिलान की स्थिति **परिशिष्ट-05** में दर्शायी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्रैमासिक आय–व्यय के आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-06** में दर्शायी गयी है।

2.5 मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना, कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। लेखे की प्रथम सूची उसी माह की 13 से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018-19 में कुल 240 (20 कोषागार X 12 मास) मासिक लेखों को प्राप्त करके लेखांकन किया गया। वर्ष 2018-19 में कोषागारों द्वारा **02** से **12** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये।

(कोषागारों से लेखे विलम्ब से प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में लेखों का संकलन नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप शासन को मासिक लेखे प्रेषित करने में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है।)

(परिशिष्ट-07)

2.6 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेंसी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त एजेंसी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

कोषागारों/उपकोषागारों के मासिक लेखों में दर्शायी गई धनराशियों एवं वी0डी0एम0एस0 की धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे कोषागारों से सम्बन्धित मासिक लेन–देन के विवरण एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त भारतीय रिजर्व बैंक के वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

जून 2012 से जनवरी-2019 तक की अवधि में उक्त तीनों प्रकरणों में रिजर्व बैंक जमा (राज्य) के अन्तर्गत धनराशि ₹19,04,52,81,748.20 डेबिट तथा धनराशि ₹18,84,11,33,334.35 क्रेडिट, शुद्ध भिन्नता (Net Difference) धनराशि ₹20,41,48,413.85 डेबिट में अवशेष हैं जिसका निस्तारण संबन्धित कोषागारों, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर एवं भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून एवं संबन्धित एजेंसी बैंकों एवं एफ0एस0एल0ओ0, कानपुर द्वारा किया जाना है।

भाग- तीन

वित्तीय वर्ष **2018-19** में कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां/ त्रुटियाँ

"भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां"

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वर्ष 2018-19 में 22 कोषागारों 32 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2018-19 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण (**परिशिष्ट-08**) में दर्शाया गया है।

अनुशंसाः—निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष **2018-19** में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2018-19	113	565
वर्ष के दौरान निरीक्षण	54	476
वर्ष के दौरान निस्तारण	29	307
वर्ष के अन्त में शेष	**138**	**734**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों का तीन वर्षों का विवरण**:-**

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2016-17 तक	43	64
2017-18	42	205
2018-19	53	465
योग	**138**	**734**

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.2.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या— 21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके "खाता संख्या" का आंवटन करायें परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

(**परिशिष्ट -09**)

3.2.2 टी0आर0-24 के माध्यम से आहरित धनराशि का समायोजन न होना।

टी0आर0 – 24 के तहत आहरित धनराशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किया जाना प्रावधानित है, लेकिन जिलाधिकारी नैनीताल एवं उत्तरकाशी के द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल रू 20,31,198 / – का समायोजन नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

कोषागार	विभाग का नाम	लेखाशीर्ष	दिनांक	धनराशि
नैनीताल	जिलाधिकारी नैनीताल	2475	26.12.2017	31,198
उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	3055	25.05.2017	20,00,000
			योग	**20,31,198**

कोषागारों के स्तर से टी0आर0-24 के माध्यम से विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के अन्तिम समायोजन सुनिश्चित कराने हेतु कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

3.2.3 नकद साख सीमा एवं जमा साख सीमा का सम्बन्धित बैंक शाखा को विलम्ब से सूचित करना।

सी0सी0एल0/ डी0सी0एल0 के समय से निर्गत न होने से कार्यदायी संस्था द्वारा विकास कार्यों को समय से निष्पादन करने में अवरोध उत्पन्न न हो इसलिए नकद साख सीमा (C.C.L.)/ जमा साख सीमा (D.C.L.) के निर्गत करने की वास्तविक सूचना सम्बन्धित बैंक शाखा को एवं विभागों अथवा खण्डों को तत्काल प्रेषित करना अनिवार्य है। कोषागारों के निरीक्षण से संज्ञान में आया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सी0सी0एल0 / डी0सी0एल0 की वास्तविक सूचना बैंक शाखाओं को विलम्ब से प्रेषित की गई। विलम्ब की अवधी 4 से 45 दिनों तक पायी गई है।

(परिशिष्ट-10)

3.2.4 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/ लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

(परिशिष्ट -11)

3.2.5 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0)से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.2.5.1 पी0एल0ए0 से एक मुश्त धनराशि का आहरण।

कोषागारों की पी0एल0ए0 पंजिका एवं पत्रावलियों के निरीक्षण में पाया गया कि पी0एल0ए0 धारक अनुदान की धनराशि को एक मुश्त आहरित कर रहे है जबकि पी0एल0ए0 खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यक एवं निर्धारित कार्यों के लिये ही किया जाना चाहिये। कोषागार, पी0एल0ए0 से आहरण केवल बिल के आधार पर स्वीकृत करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पी0एल0ए0 धारकों द्वारा आहरण उसी कार्य/मद से संबंधित हो जिस कार्य/मद के विरूद्ध धनराशि आंवटित की गयी हो। ऐसी परिस्थिति में पी0एल0ए0 धारकों द्वारा पी0एल0ए0 निधि से अनावश्यक रूप से धनराशि आहरित करके बैंक खाते में जमा रखने से शासकीय धनराशि अनावश्यक रूप से पार्क करने की संभावनायें होती है एवं ऐसी धनराशि के दुरूपयोग की आशंका रहती है। निम्न वैयक्तिक लेखा खाताधारकों द्वारा वैयक्तिक लेखा खाता से स्वयं के पक्ष में एकमुश्त राशि आहरित की गई थी।

कोषागार	विभाग का नाम	अनुदान की धनराशि	पी0एल0ए0 में जमा का दिनांक	पी0एल0ए0 से आहरित का दिनांक
नैनीताल	नगर पालिका नैनीताल	3,63,90,000	19.07.2017	20.07.2017
		3,63,90,000	12.10.2017	13.10.2017
		3,63,91,000	08.01.2018	08.01.2018
	नगर निगम हल्द्वानी	6,82,10,000	01.05.2017	16.05.2017
		6,82,10,000	25.07.2017	26.07.2017
		6,82,10,000	13.10.2017	13.10.2017
		6,82,10,000	08.01.2018	09.01.2018
देहरादून	नगर निगम (SFC)	70,00,000	--	27.10.2017
	नगर पालिका ऋषिकेश	62,00,000	--	03.11.2017
	दून विश्वविद्यालय	1,00,00,000	--	31.12.2017
	नगर पालिका परिषद देहरादून	90,00,000	--	11.12.2017
	नगर पालिका परिषद विकासनगर	40,00,000	--	29.12.2017
	योग	**41,82,11,000**		

3.2.5.2 असंचालित वैयक्तिक लेखा खाता को बन्द नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 121/XXVII(14)/2013 दिनांक 12-07-2013 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग एक के 340 के अनुसार वैयक्तिक लेखा खाते जिनमें पिछले 3 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन खातों को महालेखाकार के परामर्श से बन्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसे PLA जिन्हें तीन वर्ष तक कोई लेन देन नहीं होने के पश्चात भी बन्द नहीं किया गया था, निम्नलिखित हैं:

क्रम सं0	कोषागार का नाम	विभाग का नाम	वर्ष	धनराशि
1	हल्द्वानी	प्रभागीय वनाधिकारी, राम नगर	11.01.2010 (8 वर्ष से)	1,998.00
2	पिथौरागढ़	वित्त एवं लेखाधिकारी पिथौरागढ़	2015-16 से (3 वर्ष से)	79,216.55
			योग	**81,214.55**

3.2.5.3 उपकोषागारों के अधीनस्थ विभागों के वैयक्तिक लेखा खाता का संचालन मुख्य कोषागार से किया जाना।

निम्न विभाग जो कि उपकोषागारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, के वैयक्तिक लेखा खाता अब भी कोषागार देहरादून एवं कोषागार अल्मोड़ा से संचालित हो रहे हैं–

क्रम सं0	कोषागार	विभाग का नाम	उपकोषागार जिसके क्षेत्रान्तर्गत विभाग आता है
1	देहरादून	नगर पालिका परिषद हर्बटपुर (SFC)	विकासनगर
		नगर पालिका परिषद हर्बटपुर (14 FC)	विकासनगर
		नगर पालिका परिषद मसूरी (SFC or 14 FC)	मसूरी
		नगर पालिका परिषद ऋषिकेश (SFC, TFC or 14 FC)	ऋषिकेश
		नगर पालिका परिषद विकासनगर (SFC, 13FC or 14FC)	विकासनगर
		नगर पंचायत, सेलाकुई	विकासनगर
2	अल्मोड़ा	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, द्वाराहाट	द्वाराहाट
		निदेशक उद्यान खाद्य प्रसंस्करण, चौखुटिया	रानीखेत

3.2.5.4 वैयक्तिक लेखा खाता मुख्य लेखाशीर्ष 8443 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष बची राशि का अभ्यर्पण न किया जाना।

कोषागार अल्मोड़ा के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 8443-00-106 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा के पक्ष में वैयक्तिक लेखा खाता अधिकृत है। इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय के भुगतान से पूर्व कार्य की पूर्णता तथा कार्य को पूर्ण करने वाले ठेकेदार/फर्म से आवश्यक कटौती का समाधान प्राप्त कर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न की जानी होती है तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष बची राशि का अभ्यर्पण आवश्यक होता है परंतु वित्तीय वर्ष के अन्त में इस शीर्ष के अन्तर्गत बची शेष राशि रू 18,04,000/- का अभ्यर्पण नहीं किया गया था।

3.2.5.5 पी0एल0ए0 खातो से ₹ 27.14 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।

वैयक्तिक लेखा खातों के खोलने की सुविधा/सृजन का उद्देश्य/प्रयोजन, आहरण–वितरण अधिकारी को सरकारी समयबद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसी प्रकार वैयक्तिक खातों का वास्तविक उद्देश्य विभागीय अध्यक्षों को सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति प्रदान करना है।

उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए वैयक्तिक लेखा खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता में तथा निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए बिल के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशि को आहरित करते समय अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रायः यह पाया गया है कि इन खातों की सुविधा के प्रयोजन का उल्लंघन हो रहा है जिसके कारण इन खातों का काफी दुरूपयोग हुआ है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 धारकों द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक के आधार पर खातों से धन निकासी पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है। ऐसी स्थिति में स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक के

आधार पर आहरित धनराशि पी0एल0ए0 धारकों द्वारा आहरित धनराशि का अनावश्यक रूप से बैंक में जमा की जाती है तथा इस स्थिति में शासकीय राशियों के दुरूपयोग होने की प्रबल सम्भावना होती है। वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक के आधार पर धनराशि **₹27,14,42,605**/- का आहरण किया गया जिससे कोषागार के स्तर पर अत्यन्त निगरानी का अभाव सिद्ध होता है। राज्य की अर्थव्यस्था सुदढ़ बनाये रखने हेतु कोषागार के स्तर पर वैयक्तिक खातों से स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक के आधार पर अनियंत्रित निकासी पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

(परिशिष्ट -12)

3.2.5.6 वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) धारकों का खाता बिना पुनर्वैधीकरण के संचालित किया जाना।

साईबर कोषागार देहरादून के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड, देहरादून का वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) संचालित है, लेकिन दिनांक 18.12.2015 से यह कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तराखण्ड के प्राधिकार के बिना संचालित किया जा रहा है।

3.2.5.7 पी0एल0ए0 पोस्टिंग पंजिका में दर्ज वित्तीय–वर्ष 2017–18 के प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष की धनराशि में अन्तर का पाया जाना।

पी0एल0ए0 खातों की पोंस्टिंग पंजिका एवं धन–ऋण ज्ञापन (प्लस–माइनस) में दर्ज धनराशियाँ एक समान होनी चाहिए, जिससे धन–ऋण ज्ञापन के आधार पर महालेखाकार कार्यालय में दर्ज प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष का मिलान किया जा सके।

कोषागारों की वर्ष 2017–18 की पी0एल0ए0 पंजिका एवं धन–ऋण ज्ञापन की जांच में पाया गया कि निम्न कोषागारों के पी0एल0ए0 खाताधारकों के प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष में अन्तर पाया गया :–

क्रम सं0	कोषागार	पी0एल0ए0 खाताधारक
1	उत्तरकाशी	नगर पंचायत बडकोट
		भूमि अधिग्रहण उत्तरकाशी
		सिविल कोर्ट जज उत्तरकाशी
2	नरेन्द्रनगर	नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर
		नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर (टी0एफ0सी0)
		नगर पालिका परिषद मुनि की रेती
		नगर पालिका परिषद मुनि की रेती, टी0एफ0सी0
		P.F. Secondary Education
3	अल्मोड़ा	ज़िला बोर्ड अल्मोड़ा
		नगर पंचायत द्वाराहाट
		नगर पंचायत SFC भिक्यासैण
		उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय
		बेसिक शिक्षा निधि अल्मोड़ा
		ज़िला विकास अधिकारी अल्मोड़ा

3.2.5.8 पी0एल0ए0 से भुगतान में फर्मो के ठेकेदारों से आयकर कटौती नियमानुसार न किया जाना।

कोषागार देहरादून वैयक्तिक लेखा खाता से फर्मो, ठेकेदारों तथा आपुर्तिकर्ताओं को भुगतान में कुछ ठेकेदारों से आयकर की कटौती नही की गई है, कुछ ठेकेदारों से 01 प्रतिशत से कम तो कुछ ठेकेदारों से 4 प्रतिशत से भी अधिक की दर से आयकर कटौती की गई है।

बिल सं0	दिनांक	ठेकेदार का नाम	सकल धनराशि (रू में)	आयकर कटौती	% आयकर कटौती
10002180020	05.03.18	वीरेन्द्र दत्त सकलानी	57,81,626	2,47,715	4.28%
800002180019	05.03.18	कृष्णा इलैक्ट्रिकल एण्ड इंजीनियरिंग	11,17,086	शून्य	-
800103180015	24.03.18	शमसुद्दीन	3,49,359	6483	1.85%
8001031800	24.03.18	शमसुद्दीन	2,45,302	6378	2.60%

स्पष्ट है कि विभागों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व शासनादेशानुसार आयकर कटौती नियमों का पालन नहीं किया गया है। नियमानुसार एकल ठेकेदारों से उनके वित्त राशि पर 1 प्रतिशत तथा संयुक्त फर्म के मामले में 2 प्रतिशत आयकर कटौती का प्रावधान है तथा इस पर 1 प्रतिशत Labour Cess की कटौती भी नहीं की गई है।

3.2.6 व्यपगत जमाओं के विवरण एवं भुगतान से सम्बन्धित कमियाँ।

3.2.6.1 सिविल कोर्ट डिपोजिट (लेप्स डिपोजिट) का भुगतान गलत लेखाशीर्ष में किया जाना।

सिविल न्यायालय से सम्बन्धित लेप्स राशियों का भुगतान/रिफन्ड महालेखाकार कार्यालय की स्वीकृति के उपरान्त लेखाशीर्ष 2075-800 के अन्तर्गत करना निर्धारित है परन्तु वर्ष 2017-18 में कोषागार हल्द्वानी, रूड़की एवं पौड़ी में कोषागारों के स्तर से सिविल कोर्ट डिपोजिट (लेप्स डिपोजिट) का भुगतान लेखा शीर्ष 8443 अथवा 0075 से किया गया। कोषागार से अपेक्षित है कि लेखाशीर्ष 2075-800 में बजट आवंटन कराके नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराये।

उक्त त्रुटि का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	कोषागार	धनराशि (रू)
1	हल्द्वानी	29,200
2	रूड़की	7,265
		23,114
		2,07,780
3	पौड़ी	1,97,473
		51,00,100
	योग	**55,64,932**

3.2.6.2 डी0एम0 की संस्तुति के बगैर व्यपगत जमा राशि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना।

कोषागार हल्द्वानी में दिनांक 31.03.2018 को व्यपगत जमा रू 6,87,122/- जो कि सिविल कोर्ट डिपोजिट से सम्बन्धित है, को व्यपगत करने हेतु डी0एम0 की संस्तुति के बगैर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया गया है।

3.2.6.3 लेप्स धनराशि रू 79,615/- के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में।

कोषागार उधमसिंह नगर में लेप्स जमा वापसी की देय धनराशि रू 5,580/- मौ0 नर्हम एवं धनराशि रू 74,035/- बनाम बरूण कुमार कार्यालय महालेखाकार द्वारा दिनांक 26.02.2017 एवं दिनांक 01.11.2017 से स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भी बजट के अभाव में लम्बित पड़ी है।

3.2.7 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सामान्य भविष्य निधि की धनराशि ₹14,47,558/- के प्राधिकार पत्रों पुनर्वैध हेतु महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नहीं हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण–पत्र के साथ पुनर्भुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, परन्तु विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार को वापस नहीं किया गया।

(परिशिष्ट-13)

3.2.8 कोषागार द्वितालक कक्ष में अनुपयोगी चैक बुकों का अनावश्यक भण्डारण।

द्वितालक कक्ष में विभिन्न श्रेणी की चैक बुक जो विभागों को पूर्व में निर्गत की जाती थी अब बिना किसी उपयोग के पड़ी हैं। वर्तमान में ई–लेखा प्रणाली लागू हो जाने के फलस्वरूप इन सभी चैक बुकों को उपयोग में लाया जाना बन्द हो गया है। इन सभी चैक बुकों को वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी होने के कारण इनका निस्तारण किया जाना अपेक्षित होगा। अतः उक्त अनुपयोगी चैक–बुकों को शासन की अनुमति प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नष्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए अथवा अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखंड को स्थानान्तरित किया जाना उचित होगा ताकि द्वितालक कक्ष में रखे गए अनुपयोगी चैक–बुकों का निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

(परिशिष्ट-14)

3.2.9 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमुल्य वस्तुओं के संबंध में ।

3.2.9.1 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमुल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से

आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेट का प्रतिवर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। कोषागार नैनीताल, हल्द्वानी, लैन्सडाउन, देहरादून एवं रूद्रप्रयाग के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमुल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया है जबकि द्वितालक कक्ष में रखी गई सभी बहुमुल्य वस्तुओं को नियमानुसार वार्षिक निकासी की जानी चाहिए तथा पुनः रखे जाने की स्थिति में सत्यापन कर संबंधित प्राधिकारी/विभाग द्वारा पुनः सीलबन्द कर रखा जाना चाहिए।

(परिशिष्ट-15)

3.2.9.2 डबल लॉक में रखे गये पैकेट इत्यादि को कोषागार में हस्तान्तरित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है किन्तु उपकोषागार सितारगंज में अभी भी नौ बहुमूल्य वस्तुओं को रखा गया है जबकि पुलिस गारद मौजूद नहीं है। रखी हुई बहुमूल्य वस्तुओं का विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	बहुमूल्य पंजिकाये क्रम सं0	विवरण/जमाकर्ता अधिकारी
1	1/59	कोषाधिकारी पुलिस खटीमा/एक सील्ड पैकेट दिनांक 28.04.90 जिसमें एक घड़ी एवं रू 200/- नकद है।
2	4/13	उपजिलाधिकारी सितारगंज/पत्रांक 132/एक सील्ड पैकेट अविश्वास मत पत्र 2006-07 दिनांक 21.12.2006 इस सील्ड पैकेट में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के विरूद्ध पड़े हुए अविश्वास मत है
3	1	प्रभारी थाना निरीक्षक सितारगंज/एक सील्ड पैकेट जिसमें 50 रू का नोट होना बताया गया है।
4	2	एक सील्ड पैकेट जिसमें माचिस की डिब्बी एवं एक सोने की चेन
5	4	एक सील्ड पैकेट जिसमें रू 3000/- नकद एवं दूसरा पैकेट जिसमे रू 2000/- नकद
6	5	एक लिफाफा सील्ड जिसमें रू 100/- का एक नोट बताया गया है।
7	6	एक सील्ड पैकेट जिसमें एक पर्स जिसमें रू 550/- नकद बताया गया है।
8	12	एक सील्ड पैकेट जिसमें रू 1520/- नकद व 52 पत्ता तारा
9	14	एक सील्ड पैकेट जिसमें जेवरात सोना, चांदी एवं चांदी के कड़े

3.2.10 राजस्व लेखे से सम्बन्धित धनराशि रू 1,05,525/- = (रू 53100+52425) को पूंजीगत लेखे (Capital Accounts) में जमा कराने हेतु बैंक ड्राफ्ट निर्गत कराना।

सामान्य वित्तीय नियम (जी0एफ0आर0) में प्रावधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार State Legislature द्वारा राजस्व लेखे में आंवटित धनराशि को बजट आवंटन के आधार पर केवल राजस्व व्यय के मद के अन्तर्गत ही व्यय किया जा सकता है। यद्यपि किसी कारणवश राजस्व व्यय के अन्तर्गत आंवटित बजट राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में Unutilised(अपर्युक्त) बजट राशि को शासकीय खातों में वित्तीय वर्ष के अन्त में सर्मपण कराना निर्धारित है। किसी भी दशा में राजस्व खर्च से सम्बंधित आंवटित बजट राशि को पूंजीगत खाते (Capital Accounts) में जमा नहीं किया जा सकता । ऐसा करने पर जहां एक ओर बजट discipline एवं जी0एफ0आर0 नियमों का उल्लंघन होता है तो दूसरी ओर वित्तीय नियन्त्रण पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कोषागार द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी का ए0पी0एल0 सब्सिडी के देयकों में कोषागार स्तर पर भुगतान के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक की साइट पर अधिकांश डाटा फेलियर होने के कारण भुगतान नहीं होने से जिला पूर्ति अधिकारी के अनुरोध पर धनराशि रू 53,100/- एवं रू 52,425/- के बैंक ड्राफ्ट पूंजीगत लेखा शीर्ष 4408-01-101-03-00-31 सामग्री एवं सम्पूर्ति में जमा कराने हेतू निर्गत किया है जो कि निर्धारित नियमों के विरूद्ध है।

कोषागार से अपेक्षित है ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग से लाभार्थियों के सही खाता संख्या प्राप्त करके सम्बंधित राशन कार्डधारकों को भुगतान सुनिश्चित कराये। इस प्रकरण में कोषागार द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट नियम के विरूद्ध है क्योंकि किसी भी दशा में राजस्व खाते (Revenue Accounts) की राशि पूंजीगत खाते (Capital Accounts) में जमा नहीं की जा सकती है।

3.2.11 राज्य आकस्मिकता निधि से रू 140 करोड़ को आहरण अग्रिम के रूप में किया गया तथा उसे योजनागत मद मे व्यय करना।

राज्य आकस्मिकता निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित व्ययों (Unforeseen Expenditure) को वहन करने के लिये किया जाता है परन्तु उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 - 205/III(2)/18-05(बजट)/2013 टी0सी0 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को लेखा शीर्ष 5054-04-337 (Roads and Bridges) सड़क एवं पुल, योजनागत मद में आकस्मिकता निधि से आहरित कर साख सीमा आवंटित की गयी।

लेखा अभिलेखों में रू 140 करोड़ के कुल आवंटन में से रू 8 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित की गई थी और लेखाशीर्ष 5054-04-337 सड़क एवं पुल पर अन्तिम रूप से बुक कर दी गई। लेखाशीर्ष 5054-04-337 आयोजनागत मद का एक स्थाई शीर्ष है जो पूंजीगत व्ययों के लिये है न कि आकस्मिक व्ययों से वहनीय है। उक्त अग्रिम की राशियों को लेखाशीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिये था तथा इसके पुनर्भरण (Recoupment) तक उसे अग्रिम के रूप में प्रदर्शित होना चाहिये था, परन्तु लेखाशीर्ष 5054-04-337 पूंजीगत परिव्यय पर अन्तिम रूप से भारित हो जाने के कारण उक्त राशि समायोजनीय नहीं रही तथा आकस्मिकता निधि का उपयोग नियमित व्यय शीर्ष (Regular Expenditure Head) के रूप में करना नियमों के विरूद्ध है।

3.2.12 P.A.O. उच्चंत खाता में धनराशियों का क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाना।

मासिक लेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि P.A.O. सस्पेंस (8658-00-101) के क्रेडिट पक्ष में माहवार धनराशि अंकित कर दी गयी है जबकि कोषागार से कोई भी Central (Civil)/Burma Pensioner एंव उनका फेमिली पेंशनर पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। निम्न धनराशियाँ सस्पेंस हेड में हर माह बढ़ती जाती हैं।

क0सं0	कोषागार का नाम	माह	धनराशि
1	हल्द्वानी	12/2017	360
		01/2018	300
		02/2018	240
		03/2018	60
2	उत्तरकाशी	04/2016	540
		05/2016	390
		06/2016	150
		07/2016	1,560
		08/2016	690
		09/2016	300
		10/2016	390
		11/2016	270
		12/2016	390
		05/2017	720
		06/2017	480
		07/2017	480
		08/2017	450
		09/2017	390
		10/2017	360
		11/2017	360
		12/2017	360
		01/2018	390
		02/2018	120
		03/2018	390
	योग		**10,140**

3.2.13 Failed Transaction राशियों के सम्बन्ध में।

3.2.13.1 Failed Transaction राशि को विलम्ब से पुनः अपलोड करने के सम्बन्ध में।

निर्धारित नियमानुसार कोषागार में प्राप्त विभिन्न विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बिल/देयको का निपटान/भुगतान तीन कार्य दिवस की समय सीमा के भीतर करना आवश्यक है, यदि ई0–प्रणाली के माध्यम से किये गये भुगतान में आर0बी0आई0 पोर्टल से किसी कारणवश Failed होते हैं तो ऐसी स्थिति में कोषागार से अपेक्षा है कि Failed Transaction को तत्काल बिना किसी विलम्ब से पुनः अपलोड कराते हुए सम्बन्धित लाभार्थी के खाते में भुगतान सूनिश्चित करें।

धनराशियों को पुनः अपलोड/भुगतान करने में कोषागार के स्तर से हुए विलम्ब का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र0 सं0	कोषागार/ उपकोषागार	धनराशि	दिनांक	पुनः अपलोड दिनांक/ भुगतान दिनांक	विलम्ब (दिन में)
1	कोषागार पौड़ी	31,317	02.08.2018	13.09.2018	43
		31,142	31.08.2018	13.09.2018	13
2	उपकोषागार बाजपुर	43,664	--	16.10.2018	34
3	उपकोषागार सितारगंज	2,230	--	--	--
		19,800	--	--	--
4	कोषागार उधमसिंहनगर	11,33,025	--	--	2 मास से अधिक

3.2.13.2 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आर0बी0आई0 पोर्टल से रू 15.06 करोड़ अस्वीकृत भुगतानों के कारण त्रुटिपूर्ण लेखाओं की प्रस्तुति।

कोषागार नरेन्द्रनगर के लेखा अभिलेखों Accounting System का निरिक्षण करने पर पाया गया कि आर0बी0आई0 पोर्टल से वर्ष के दौरान निम्नलिखित धनराशियों के भुगतान विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिये गये थे।

क्र0सं0	माह	धनराशि
1	04/17	4,66,314
2	05/17	73,080
3	06/17	7,88,689
4	07/17	1,90,01,492
5	08/17	10,08,95,218
6	09/17	15,93,549
7	10/17	59,77,860
8	11/17	31,53,114
9	12/17	3,38,165
10	01/18	76,43,530
11	02/18	11,10,595
12	03/18	95,89,823
	योग	**15,06,31,429**

भुगतानों का अपरिहार्य परिस्थितियों में अस्वीकृत होना सामान्य परिस्थिति है परन्तु वर्ष भर प्रत्येक माह भुगतानों का अस्वीकृत होना, System की कमी को दर्शाता है तथा वे भुगतान जो वर्ष के दौरान अस्वीकृत हो जाते है, उन्हें पुनः ठीक करके प्रकिया में लाया जा सकता है। परन्तु वे भुगतान जो वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अर्थात 31 मार्च को अस्वीकृत हुए हैं को पुनः प्रकिया में नही लाया जा सकता है, क्योंकि आर0बी0आई पोर्टल बन्द होने के कारण अस्वीकृत भुगतानों का पुर्नप्रसंस्करण (Reprocess) होना सम्भव नहीं है।

3.2.13.3 रू 13,70,479/- के दायित्वों का भुगतान न हो पाने के कारण अगले वित्तीय वर्ष हेतु धनराशियों का व्यवर्तन।

मुख्य कोषागार अल्मोड़ा के लेखांकन पद्धति के निरीक्षण में पाया गया कि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान R.B.I Portal पर किये भुगतानों में से अत्याधिक मात्रा में भुगतान अस्वीकृत हो जाते हैं। कोषागार द्वारा बताया गया कि, कतिपय

तकनीकी कारणों से यथा–लेखा संख्या का त्रुटिपूर्ण होना या बैंक के आई0एफ0एस0सी0 कोड़ का त्रुटिपूर्ण होना, इत्यादि कारणों से भुगतान अस्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे भुगतान जो समय रहते निरस्त हो जाते है उनका पूर्ण पुनर्संस्करण (Reprocess) भी किया जाता है। 31 मार्च 2018 को RBI Portal से रू13,70,479/- के भुगतान निरस्त हो जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष बन्दीकरण के कारण उक्त धनराशि का पुर्ण पुनर्संस्करण सम्भव नहीं हैं। उक्त अस्वीकृत धनराशि के दायित्व को वर्ष 2018–19 में व्यवर्तित किया गया जबकि दायित्व वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित थे, एवं कृत कार्य का व्यय भी मासिक लेखों में वर्ष 2017-18 में दर्शाया गया।

3.2.14 स्टाम्प सम्बन्धित अनिमितताएँ

3.2.14.1 उत्तराखण्ड राज्य में ई–स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार में विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प का अनावश्यक भण्डारण।

कोषागार हल्द्वानी के द्वितालक कक्ष में विभिन्न डिनॉमिनेशन के स्टाम्प निम्नवत् पाये गये–

	रू 500	**रू 1000**	**रू 5000**	**रू 10,000**	**रू 15,000**
01.04.2017 को प्रा0 शेष	72,50,000	3,48,00,000	3,25,00,000	1,20,00,000	1,35,00,000
प्राप्ति	--	--	--	--	--
बिक्री	6,50,000	24,00,000	55,00,000	50,00,000	--
31.03.2018 अन्तिम शेष	66,00,000	3,24,00,000	2,70,00,000	70,00,000	1,35,00,000
27.11.2018 को शेष	15,50,000	3,23,00,000	2,70,00,000	70,00,000	1,35,00,000

उत्तराखण्ड राज्य में ई–स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार हल्द्वानी में उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प अत्यधिक मात्रा में द्वितालक कक्ष में विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि ई–स्टाम्प व्यवस्था के फलस्वरूप कोषागार में मैन्युल स्टाम्प का भण्डारण वांछित नहीं है। रू 15,000/- के स्टाम्प की कोई बिक्री नहीं हो रही है तथा रू 500/- एवं रू 10,000/- श्रेणी के स्टाम्प की भी बहुत कम बिक्री हो रही है।

3.2.14.2 आवश्यकता/मांग से अधिक स्टाम्प का भण्डारण

कोषागार पौडी में विगत तीन वर्षों से आवश्यकता/मांग से अधिक स्टाम्प का भण्डारण किया गया है जिनका विवरण (बिक्री दर) निम्नवत् हैः–

स्टाम्प मूल्य		वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19
रू 1000/–	प्रा0 अवशेष	3273	3196	2790
	बिक्री	77	406	32
	प्रतिशत	2.35	12.70	1
रू 5000/–	प्रा0 अवशेष	2996	2966	2853
	बिक्री	30	113	01
	प्रतिशत	1.00	3.81	0.10
रू 10,000/–	प्रा0 अवशेष	993	990	977
	बिक्री	3	13	1
	प्रतिशत	0.30	1.31	0.10
रू 15,000/–	प्रा0 अवशेष	256	256	248

	बिक्री	0	8	5
	प्रतिशत	0	3.13	2.00
रू 20,000/–	प्रा0 अवशेष	621	617	583
	बिक्री	4	34	4
	प्रतिशत	0.64	5.51	0.69
रू 25,000/–	प्रा0 अवशेष	435	421	364
	बिक्री	14	57	17
	प्रतिशत	3.22	13.54	4.67

3.2.14.3 रसीदी टिकट का अनावश्यक भण्डारण।

कोषागार रूद्रप्रयाग के द्वितालक कक्ष में 400 शीट (एक शीट = 80 टिकट) कुल मूल्य रू 32000/- के रसीदी टिकट रखे गए है। इन टिकटों की विगत 05 वर्षों से कोई बिक्री नही हुई है तथा ये बहुत खराब स्थिति मे है। इनकी बिक्री कोषागार में न होने की स्थिति में इनको किसी अन्य कोषागार जहाँ इन टिकटों की बिक्री हो रही है, स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए था।

3.2.14.4 अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प का अनुपयुक्त रहना।

कोषागार अल्मोड़ा में अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प की कोषागार स्तर पर वर्ष पर्यन्त बिल्कुल बिक्री नहीं हुई, यदि निम्न स्टाम्प की उपयोगिता कोषागार में नहीं थी तो इनको उन कोषागारों में जहां इनकी आवश्यकता थी, स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए था।

मूल्य		शीट	कुल मूल्य
रू 5		270	रू 67,500
रू 10		446	रू 2,23,000

3.2.15 शासकीय धन को कोषागार में तुरंत शासकीय खातों में जमा न करना।

वित्तीय नियमानुसार कोषागार में प्राप्त शासकीय धन (नगद/चेक/ड्राफ्ट) को कोषागार में प्राप्ति के बाद तुरंत शासकीय खातों में जमा कर देना चाहिए। कोषागार नैनीताल में मृत पेंशनर/अधिक भुगतान पत्रावली की जांच में पाया गया कि कुछ मृत पेंशनरों को अधिक भुगतान की वसूली को कोषागार में प्राप्ति के पश्चात 8 से 74 दिन के मध्य जमा किया गया था जो कि वित्तीय नियम के विरूद्ध है। विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	पेन्शनर का नाम	धनराशि वसूली	कोषागार में प्राप्ति	शासकीय खाते में जमा	विलम्ब (दिन में)
1	स्व0 श्रीमती मवेती देवी	5,792	02.02.2018	17.02.2018	15
2	स्व0 श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे	15,971	30.01.2018	17.02.2018	18
3	स्व0 श्रीमती नख्ली देवी	5,014	28.12.2017	17.02.2018	51
4	स्व0 श्री प्रताप सिंह	27,827	31.07.2017	08.08.2017	8
5	स्व0 श्रीमती बसंती देवी	1,219	23.01.2018	06.03.2018	42
6	स्व0 श्रीमती गंगा देवी	35,910	31.10.2017	09.11.2017	9
7	स्व0 श्रीमती चन्द्रा देवी	18,226	08.02.2018	23.04.2018	74
	योग	**1,09,959**			

3.3 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं

3.3.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। (परिशिष्ट **–16**)

3.3.2 223 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को बैंक/डी0पी0डी0ओ0 को हस्तान्तरित न करना।

निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्रांक 991/22(5)/(ii) सैन्य पेंशन पत्राचार/नि0को0वि0से0/2013 दिनांक 16 सितम्बर 2013 द्वारा नियंत्रक लेखा, रक्षा (पेंशन) इलाहाबाद के पत्र संख्या AT/Tech/269/Vol VI/PCDA(P) दिनांक 06.09.2013 के अनुसार सैनिक पेंशनरों का भुगतान कोषागार के स्थान पर सीधे बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करना था। रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (Defence Pension Disbursment Office) देहरादून द्वारा निर्देश दिया गया था कि पेंशन प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 (Defence Pension Disbursment Office) के कार्यालय में हस्तान्तरित किया जाए परन्तु कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा 223 सैनिक पेंशनरों के प्रकरण डी0पी0डी0ओ0 अथवा निर्धारित बैंक शाखा में हस्तान्तरित करना अभी भी अपेक्षित है।

(परिशिष्ट **–17**)

3.3.3 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ता है तथा साथ ही ऐसे आदेशों का उल्लघंन भी हो रहा है। कोषागारों द्वारा या तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है अथवा निर्धारित दर से कम किया जा रहा है।

(परिशिष्ट **–18**)

3.3.4 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप बढ़ी हुई दर से 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0अ0सा0नि0) अनुभाग-7 संख्या-419/ XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है तथा बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं की है। (परिशिष्ट **–19**)

3.3.5 विभिन्न कोषागारों में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुनरीक्षित न किया जाना।

सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 138/ 2017/ xxvii(10)/2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के समस्त पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाना था लेकिन विभिन्न कोषागारों में सातवें वेतन के आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुनरीक्षित नहीं किया गया एवं कुछ पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(परिशिष्ट **–20**)

3.3.6 स्त्रोत पर आयकर ₹14.34 लाख की कटौती का न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिये परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि **₹ 14,33,733/-** की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए हैं। **(परिशिष्ट-21)**

3.3.7 डाटा बेस में 275 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80,85,90,95 एवं 100 वर्ष की आयु–वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20,30,40,50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने का प्रमाण–पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण–पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर के सेवानिवृत्ति माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अतिआवश्यक है ताकि उक्त आदेश की

निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके ।

(परिशिष्ट-22)

3.3.8 पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान न किया जाना।

पश्चिम बंगाल सरकार के शासनादेश सं0 237/F (Pen) दि0 18.06.2016, सं0 397 F (Pen) दि0 14-06-2017 एवं सं0 288& F (Pen)/IP-I(16)/11) दि0 01-06-2018 के क्रम में क्रमशः वर्ष 2016, वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 में क्रमशः रू 1800/-, रू 1900/- तथा रू 2000/- का Ex-gratia भुगतान किया जाना था किन्तु कोषागारों/ उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का भुगतान नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	पेंशनर की संख्या	2016	2017	2018	कुल राशि
1	उपकोषागार नारायणबगड	8	14,400	15,200	--	29,600
2	उपकोषागार जोशीमठ़	2	3,600	--	--	3,600
3	उपकोषागार डुण्डा	2	3,600	3,800	4,000	11,400
4	उपकोषागार चौखुटिया	10	--	19,000	-	19,000
5	कोषागार नई टिहरी	9	--	17,100	18,000	35,100
6	कोषागार उत्तरकाशी	2	3,600	3,800	4,000	11,400
7	उपकोषागार सितारगंज	1	1,800	1,900	2,000	5,700
8	उपकोषागार खटीमा	4	7,200	7,600	8,000	22,800
	योग	**38**	**34,200**	**68,400**	**36,000**	**1,38,600**

3.3.9 विगत तीन वर्षों से पेंशन आहरित न करना।

सितम्बर 2018 तक कोषागार पौडी गढ़वाल में 9 ऐसे पेंशनर जो विगत तीन वर्षों से पेंशन आहरित नहीं कर रहे हैं। नियमानुसार कोषागार द्वारा विगत तीन वर्षों से अधिक पेंशन प्राप्त न करने वाले पेंशनरों से पत्राचार के माध्यम से पेंशनरों के जीवित रहने की स्थिति के संबंध में उचित कार्यवाही करनी चाहिये थी। किन्तु कोषागार स्तर से कोई पत्राचार नहीं करने से निम्नलिखित पेंशनर, पेंशन लाभ से वंचित हैंः–

क0सं0	पेशनर का नाम	जी0आर0डी0 सं0	पेंशन प्राप्ति की अंतिम तिथि
1	श्रीमती उमा सिंह	C01F04528	30.03.2012
2	कालिका प्रसाद डोभाल	032S45967	31.10.2010
3	डेजी डेविड	032F38370	31.10.2013
4	नाथी प्रसाद	032S45971	31.10.2012
5	मतबर सिंह	032S29112	31.07.2013
6	लीला देवी	032F66641	31.08.2013
7	शाकम्बरी देवी	032F53552	28.02.2011
8	सुरेन्द्र सिंह	032F35106	31.10.2012
9	दलबीर सिंह बिष्ट	E01S02017	30.06.2012

3.3.10 पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई भत्ता का भुगतान नही किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 175/XXVII(10)2017/09(36)07 दिनांक 19.06.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पर शासनादेश के दिनांक से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाना है किन्तु निम्नलिखित कोषागारों के अन्तर्गत सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नतव् है:-

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	पेंशनर की संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	1
2	कोषागार चमोली (गोपेश्वर)	15
3	उपकोषागार थराली	2
4	उपकोषागार जोशीमठ़	2
5	उपकोषागार भटवाड़ी	1
6	कोषागार उधमसिंहनगर	1
	योग	**22**

3.3.11 स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के प्रथम पीढी के उत्तराधिकारी को कुटुम्ब पेंशन रु4000/— का सबंन्धित पी0पी0ओ0 के अभिप्रमाणित/प्रमाणित किये बिना भुगतान करना।

(क) उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 714/XX(5)/16.05.2015 दिनांक 07.09.2016 एंव शुद्धि पत्र दिनांक 15.11.2016 के माध्यम से निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी को Proportionate basis के आधार पर रू 4000/- की मासिक कुटुम्ब पेंशन देय होगी। यह कुटुम्ब पेंशन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त कोषागार को भुगतान हेतु अग्रेषित किये जाते है।

चूंकि यह कुटुम्ब पेंशन स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन भुगतान आदेशों पर आधारित होती है इसलिए कोषागार के स्तर पर यह आवश्यक है कि सम्बन्धित P.P.O का verification अपने database के साथ करें तथा इस verfication के प्रमाण के रूप में प्रमाण—पत्र निर्गत करें, तद्उपरान्त भुगतान सुनिश्चित कराये जिससे कुटम्ब पेंशन के दुरूपयोग की सम्भावनाएं खत्म हो सकें।

कोषागार उधमसिंहनगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में कुटुम्ब पेंशन के रूप में धनराशि रू 7,83,686/- का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान से पूर्व सम्बन्धित पेंशन भुगतान आदेशों का सत्यापन DataBase से नहीं किया गया है।

(ख) कोषागार पौड़ी के सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में कुटुम्ब पेंशन का भुगतान पी0पी0ओ0 को प्रमाणित किये बिना किया गया ।

क0सं0	पेंशनर का नाम	पी0पी0ओ0 सं0	धनराशि (मासिक पेंशन)
1	स्व0 गणेश सिंह रावत	SSW/POL/CENT/FFI/21596	1,334
2	स्व0 भगत सिंह रावत	PAS/POL/18704	667
3	स्व0 दलबीर सिंह रावत	POL/23317	4,000
4	स्व0 गंगा सिंह	S/POL/19691	1,000
5	स्व0 त्रिलोक सिंह	SPO/3324/P-R-8	4,000

3.3.12 पेंशनरों के जीवन कालीन अवशेष का भुगतान न करके पेंशनर की मृत्यु के माह के पहली तारीख से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाना।

कोषागार रानीखेत में पेंशनरों की पेंशन पत्रावली के निरीक्षण में पाया गया कि पेंशनरों के जीवन कालीन अवशेष का भुगतान न करके जिस माह में पेंशनर की मृत्यु हुई है उसी माह की पहली तारीख से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार नहीं है। जिस तिथि को पेंशनर की मृत्यु होती है उसकी अगली तिथि से पारिवारिक पेंशन देय होती है। निम्न प्रकरण संज्ञान में लाये जाते हैं—

1. श्री राजेन्द्र सिंह धारक पी0पी0ओ0 संख्या पी-15577/13 GRD No. 032S18138 की मृत्यु दिनांक 06-03-2018 को हुई है, पारिवारिक पेंशन दिनांक 07-03-2018 से देय होती है परन्तु मार्च 18 की पेंशन सामान्य दर से भुगतान की गई है।
2. श्री हरीश चन्द्र भण्डारी धारक पी0पी0ओ0 सं0 PUC2/034/004303 GRD No. C0S11622 की मृत्यु दिनांक 10-01-18 को हुई है पारिवारिक पेंशन दिनांक 11-01-18 से देय होती है परन्तु जनवरी 18 की परिवार पेंशन सामान्य दर से भुगतान की गई।

3.4 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई अन्य कमियां

3.4.1 आहरण वितरण अधिकारी के प्रमाणित हस्ताक्षर के मिलान बिना धनराशि रु16214/— के देयक का भुगतान ।

वित्तीय नियमानुसार विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त देयकों को भुगतान करने से पूर्व कोषागार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देयकों में अंकित आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषागार स्तर पर रखें गये नमूना हस्ताक्षरों के समतुल्य हैं अथवा नहीं। कोषागार पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी, डी0डी0ओ0 कोड 4256 द्वारा प्रस्तुत देयक धनराशि रु16214/- का कोषागार में प्राप्त हुआ है, परन्तु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के देयक पर अंकित हस्ताक्षर कोषागार में रखें गये नमूना हस्ताक्षर से भिन्न होने के उपरान्त भी भुगतान पारित कर दिया गया था।

3.4.2 कोषागार द्वारा विद्युत बिल, देय धनराशि से अधिक भुगतान किया जाना।

कोषागार बागेश्वर में विद्युत देय के रूप में धनराशि रू 4870/- का एवं विलम्ब अधिभार शुल्क के रूप में रू 862/- का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

3.4.3 अग्निशमन यंत्रों के रख—रखाव में कमी।

आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित होने चाहिए परंतु उपकोषागार डीडीहाट, चकराता एवं रामनगर में अग्निशमन यंत्र नहीं लगा है तथा उपकोषागार अस्कोट, कोषागार देहरादून एवं अल्मोड़ा में लगे अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग की तिथि निकल जाने के पश्चात् भी रिफिलिंग नहीं करायी गयी है।

3.4.4 Stock Consumable Register को Update न किया जाना।

कोषागार नई टिहरी के Stock Consumable Register में पाया गया कि वर्ष के दौरान जो कार्यालय हेतु सामान क्रय किया गया वह किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में निर्गत किया गया इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है एवं इस समय कितना सामान शेष है इसका भी कोई उल्लेख नही किया गया है।

3.4.5 सरकारी वाहन/अनुबन्धित वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारियों से जी0वी0आर0 के रूप में निर्धारित धनराशि रु 2000/- की मासिक कटौति न करने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 वित्त (वि0आ0सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 7/06/2017 के अनुसार राजकीय/अनुबन्धित वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारियों के वेतन से प्रतिमाह रु 2000/– कि कटौती जी0वी0आर0 के रूप में होनी चाहिये। निम्नलिखित पदाधिकारियों से जी0वी0आर0 के रूप में मासिक कटौती नहीं की जा रही है:–

क्र0 सं0	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	पदाधिकारी का पदनाम	पदाधिकारी का नाम
1	कोषागार पौडी गढ़वाल	जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी पौडी गढवाल	श्री निर्मल कुमार शाह
		चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	श्री विरेन सिंह जंगपानी
		उपमुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढवाल	श्री हरीश चन्द सिंह
			श्री नरेन्द्र कुमार
		मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढवाल	श्री प्रेमकुमार
2	कोषागार उधमसिंहनगर	C.M.O. D.D.O Code 2661	श्रीमती शैल्जा भट्ट
		Executie Engineer (P.W.D) D.D.O Code 4227	श्रीमती जे0 सी0 पन्तोाला
3	बाजपुर	बी0डी0ओ0 बाजपुर	श्रीमती निर्मला जोशी
4	सितारगंज	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड	श्री सुभाष चन्द्र रमोला
5	खटीमा	अधिशासी अभियन्ता (P.W.D) खटीमा	--
		खण्ड विकास अधिकारी खटीमा	--

परिशिष्ट
1 से 22 तक

(परिशिष्ट-1) पैरा-1.2

उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिग/नान बैंकिग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिग
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिग
				3.	3. रामनगर	बैंकिग
				4.	4. कालाढूँगी	बैंकिग
				5.	5. धारी	बैंकिग
		2	हल्द्वानी		कोई नही	बैंकिग
2	उधमसिंहनगर	3	उधमसिंहनगर	6.	1. जसपुर	बैंकिग
				7.	2. काशीपुर	बैंकिग
				8.	3. बाजपुर	बैंकिग
				9.	4. गदरपुर	बैंकिग
				10.	5. किच्छा	बैंकिग
				11.	6. सितारगंज	बैंकिग
				12.	7. खटीमा	बैंकिग
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	13.	1.भिकियासैंण	बैंकिग
				14.	2.ताकुला	बैंकिग
				15.	3.लमगड़ा	बैंकिग
				16.	4.मोलेखाल	बैंकिग
				17.	5.चौखुटिया	बैंकिग
				18.	6.द्वाराहाट	बैंकिग
				19.	7.दन्या	बैंकिग
				20.	8.देघाट	बैंकिग
				21.	9.सोमेश्वर	बैंकिग
		5	रानीखेत		कोई नही	बैंकिग
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1.बेरीनाग	बैंकिग
				23.	2.डीडीहाट	बैंकिग
				24.	3.मुंस्यारी	बैंकिग
				25.	4.धारचूला	बैंकिग
				26.	5.अस्कोट	बैंकिग
				27.	6.थल	बैंकिग
				28.	7.गंणई गंगोली	बैंकिग
				29.	8.गंगोलीहाट	बैंकिग
				30.	9.देवलथल	बैंकिग
				31.	10. नाचनी	बैंकिग
5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिग
				33.	2. गरूड़	बैंकिग
				34.	3. काण्डा	बैंकिग
				35.	4. ढुंगनाकुरी	बैंकिग

6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिग
				41.	3. मसूरी	बैंकिग
				42.	4. त्यूनी	बैंकिग
				43.	5. चकराता	बैंकिग
		10	साईबर टेजरी, देहरादून		कोई नही	बैंकिग
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिग
		12	रूड़की	45.	2. लक्सर	बैंकिग
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिग
				47.	2. घनसाली	बैंकिग
				48.	3. थत्यूड	बैंकिग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिग
		14	नरेन्द्रनगर	कोई नही		बैंकिग
10	रूद्रप्रयाग	15	रूद्रप्रयाग	51.	1.अगस्तमुनी	बैंकिग
				52.	2.ऊखीमठ	बैंकिग
				53.	3.जखोली	बैंकिग
11	पौड़ी	16	पौड़ी	54.	1.श्रीनगर	बैंकिग
				55.	2.सतपुली	बैंकिग
				56.	3.थैलीसैंण	बैंकिग
				57.	4.धूमाकोट	बैंकिग
		17	कोटद्वार	कोई नही		बैंकिग
		18	लैन्सडाउन	कोई नही		बैंकिग
12	चमोली	19	चमोली	58.	1.कर्णप्रयागघाट	बैंकिग
				59.	2.थराली	बैंकिग
				60.	3.जोशीमठ़	बैंकिग
				61.	4.घाट	बैंकिग
				62.	5.पोखरी	बैंकिग
				63.	6.गैरसैण	बैंकिग
				64.	7.नारायणबगड	बैंकिग
				65.	8.देवाल	बैंकिग
				66.	9.चमोली	बैंकिग
13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	67.	1.पुरोला	बैंकिग
				68.	2.भटवाड़ी	बैंकिग
				69.	3.डुण्डा	बैंकिग
				70.	4.राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नही	बैंकिंग

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.1.8

चतुर्थ श्रेणी के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या की पोस्टिंग भिन्न लेखाशीर्ष में होना

क्रम संख्या	माह	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1.	अप्रैल-2018	45	21,17,886
2.	मई-2018	43	28,67,604
3.	जून-2018	47	19,61,285
4.	जुलाई-2018	48	85,41,877
5.	अगस्त-2018	45	8,45,811
6.	सितम्बर-2018	42	13,46,207
7.	अक्टूबर-2018	37	4,83,220
8.	नवम्बर-2018	49	7,01,969
9.	दिसम्बर-2018	35	34,89,020
10.	जनवरी-2019	13	6,88,984
11.	फरवरी-2019	46	25,83,357
	योग	**450**	**2,56,27,220**

(परिशिष्ट-3) पैरा-**2.1.9**

सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न के अप्राप्त शेड्यूल का विवरण

क्र.सं.	कोषागार	**Abstract month**	मुख्य लेखाशीर्ष	धनराशि
1	बागेश्वर	01/2019	8009	17,52,203
2	देहरादून	05/2018	2071	12,418
3	कोटद्वार	07/2018	2230	10,000
4	पिथौरागढ़	07/2018	2202	10,000
5	रूद्रप्रयाग	04/2018	2053	4,000
			योग	**17,88,621**

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.3

त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन

कोषागार	मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें गलती से धनराशि बुक हो गई	मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें धनराशि वास्तव में बुक की जानी थी	धनराशि	अन्तरण प्रविष्टि संख्या	माह
नैनीताल	8009-01-101-01	8009-01-101-02	20,000	48862/07-08-2018	01/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	20,000	48863/07-08-2018	02/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48864/07-08-2018	03/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48865/07-08-2018	04/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48866/07-08-2018	05/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	32,020	48867/07-08-2018	06/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48868/07-08-2018	07/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48869/07-08-2018	08/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48870/07-08-2018	09/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48871/07-08-2018	10/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	30,791	48872/07-08-2018	11/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48873/07-08-2018	12/2015
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48874/07-08-2018	01/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48875/07-08-2018	02/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48876/07-08-2018	03/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48877/07-08-2018	04/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	30,840	48878/07-08-2018	05/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48879/07-08-2018	06/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48880/07-08-2018	07/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48881/07-08-2018	08/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48882/07-08-2018	09/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48883/07-08-2018	10/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48884/07-08-2018	11/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48885/07-08-2018	12/2016
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48886/07-08-2018	01/2017
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	25,000	48887/07-08-2018	02/2017
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	24,36,788	49762/25-06-2019	09/2017
पिथौरागढ	0853-00-102-00	17-4401-00-103-00	172,012	48897/16-08-2018	04/2018
	8338-00-104-02	8338-00-104-01	828	48890/14-08-2018	04/2018
	0040-00-102-00	8658-00-112-00	10,393	49130/14-11-2018	05/2017
	8658-00-112-00	8658-00-101-05-12	2,184	49240/28-12-2018	08/2018
अल्मोडा	0039-00-101-00	0055-00-104-00	1,500	48889/14-08-2018	06/2018
	0202-01-102-01	0202-01-102-02	40	49246/04-01-2019	09/2018
	0202-01-102-01	0202-01-102-02	750	49245/04-01-2019	08/2018
	0202-01-102-01	0202-01-102-02	170	49244/04-01-2019	07/2018
	8338-00-104-03	8338-00-104-02	5,00,000	49763/25-06-2019	03/2019
देहरादून	0070-60-800-06-00	8009-01-101-02-00	97,485	48978/05-09-2018	08/2018
	8009-00-201	8009-01-101-02	10,000	48979/11-09-2018	06/2017
	07-3604-01-192-03-00-20	07-3604-01-192-01-03-20	2,47,49,000	49545/26-03-2019	07/2018
	18-2425-00-001-	18-2425-00-001-	1,01,397	49567/29-04-2019	10/2018

	03	06			
	18-2425-00-001-03	18-2425-00-001-06	1,01,397	49567/29-04-2019	10/2018
हल्द्वानी	8443-00-104-00	8443-00-103-00	39,100	48980/11-09-2018	01/2018
साई0ट्रे0 देहरादून	8009-01-101-01	8009-01-101-02	11,402	48984/11-09-2018	11/2017
	0040-00-102-00	8658-00-112-00	5,670	49907/28-06-2019	01/2019
	8009-00-101-01	8009-00-101-02	11,402	49561/02-04-2019	11/2017
कोटद्वार	8782-00-103-01-00	0406-01-800-03-00	36,536	48981/11-09-2018	07/2018
पौडी गढवाल	8009-01-101-01	8009-01-101-02	2,39,456	48990/13-09-2018	01/2011
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	24,79,929	49129/14-11-2018	01/2012
	0049-04-800-02-01 7610-00-201	8009-01-101-01	12,000	49247/04-01-2019	07/2018
	0055-00-103-00	0039-00-103-02	45,568	49759/25-06-2019	02/2019
	8793-00-021	8793-00-017	3,720	49790/26-06-2019	03/2019
चम्पावत	0406-01-900-01	8782-00-103-01	8,00,453	48988/13-09-2018	01/2016
	8782-00-102-02	8782-00-102-04	140	49128/14-11-2018	08/2018
उत्तरकाशी	8782-00-102-01	8782-00-102-03	8,80,000	49127/14-11-2018	03/2018
	8009-01-101-01	8009-01-101-02	59,391	49248/04-01-2019	10/2009
नरेन्द्र नगर	0210-04-800-06-00	17-4401-00-103-03-00	15,009	49269/11-01-2019	07/2018
रूडकी	0055-00-105-01	0039-00-105-02	80,000	49239/28-12-2018	07/2018
	0055-00-105-01	0039-00-105-02	3,00,000	49238/28-12-2018	05/2018
	0039-00-105-02-00	0202-01-102-02-00	765	49343/24-01-2019	08/2018
उधमसिंह नगर	8443-00-104-01-01-92	8009-01-101-02-00	18,400	49582/01-05-2019	04/2018
	0039-00-105-02	0043-00-101	130	49752/25-06-2019	03/2019
	0070-01-102-05-00	0039-00-105-02-00	80	49776/25-06-2019	02/2019
	0030-02-103-01-00	0039-00-105-02-00	1,00,000	49753/25-06-2019	12/2018
	0039-00-105-02-00	0853-00-102-01-00	50,000	49754/25-06-2019	12/2018
	0055-00-103-03-00	0039-00-105-02-00	4,37,435	49756/25-06-2019	11/2018
	0039-00-105-02-00	0043-00-102-00	38,550	49757/25-06-2019	04/2018
चमोली	18-4425-00-200-03-00-30	18-6425-00-800-04-00-30	29,638	49770/25-06-2019	12/2018
	18-6425-00-800-04-00-30	18-4425-00-200-03-00-30	66,379	49771/25-06-2019	01/2019
टिहरी	8009-01-101-01-00	8009-01-101-02-00	9,85,151	49764/25-06-2019	03/2016
	8009-01-101-01-00	8009-01-101-02-00	28,25,561	49765/25-06-2019	02/2016
		योग	**3,84,14,460**		

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.4

विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष **2017-18** त्रैमासिक आय–व्ययक मिलान की स्थिति

क्रम सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों/ विभागाध्यक्षों का नाम	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th
		व्यय पक्ष मिलान स्थिति				प्राप्ति पक्ष मिलान स्थिति			
1	सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
2	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
3	सचिव/ वित्तअधिकारी, सचिवालय प्रशासन उत्तराखण्ड शासन।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
4	महानिबन्धक उच्च न्यायालय नैनीताल।	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	--	--	--	--
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4,सुभाष रोड देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	--	--	--	--
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाड़पुर देहरादून।	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
7	सचिव सामान्य प्रशासन सचिवालय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
8	कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाडपुर देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	निदेशक, डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
11	कार्यालय आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड मुख्यालय देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण
12	निदेशक राष्ट्रीय बचत 48, बलबीर रोड,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	डालनवाला, देहरादून।								
13	रजिस्टार, चिट फण्ड उत्तराखण्ड 3/23 शास्त्री नगर रोड देहरादून।	नहीं	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	आशिक	आंशिक	नहीं	पूर्ण
14	प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
15	सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
16	निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
17	निदेशक, विभागीय लेखा 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	पूर्ण
18	सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन विभाग उत्तराखण्ड।	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	--	--	--	--
19	आयुक्त आबकारी सहस्त्रधारा रोड देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
20	सचिव, लोक सेवा आयोग गुरूकुल कांगडी हरिद्वार।	पूर्ण	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
21	महानिदेशक, पुलिस 12 सुभाष रोड़ देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	आंशिक	आशिक	आंशिक
22	महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड़ देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
23	निदेशक उच्च शिक्षा नबावी रोड़ हल्द्वानी ।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण
24	निदेशक एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड पी–1 नागनाथ रोड घंघोडा कैन्ट देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण
25	निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड नूनर खेडा	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण

	देहरादून।								
26	निदेशक तकनीकी शिक्षा मुख्यालय श्रीनगर पौडी गढ़वाल (कैम्पस रा0 पालीटेक्नीक)।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण
27	निदेशक खेलकुद एवं युवा कल्याण रायपूर देहरादून।	नहीं	नहीं	आंशिक	नही	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण
28	निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड एम,डी,डी,ए, कालोनी डालनावाला देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेंवायें उत्तराखण्ड़ देहरादून।	आंशिक	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं
30	निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड़ देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आशिक	नहीं
31	निदेशक होम्योपैथी सेवायें उत्तराखण्ड ग्राम गुलराडा पो0 डाण्डा लखौड़ा सहस्त्रधारा रोड़ निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं
32	प्राचार्य श्री वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली रा0 आर्युविज्ञान संस्थान श्रीनगर पौडी गढ़वाल।	आंशिक	नहीं	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं
33	सचिव, जलापूर्ति उत्तराखण्ड देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास सचिवाचय उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उदय विहार	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	--	--	--	--

	ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड देहरादून ।								
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क 12 ई0सी0 रोड देहरादून ।	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं
37	निदेशक समाज कल्याण कालाढूगी रोड मुखानी चौराहा, हल्द्वानी नैनीताल।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं
38	उप निदेशक निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास उत्तराखण्ड 15 सी कालीदास मार्ग हाथी बड़कला देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	--	--	--	--
39	आयुक्त श्रम उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	आंशिक	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
40	निदेशक कृषि कैंप कार्यालय नंदा की चौकी प्रेम नगर देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	नहीं	पूर्ण
41	वित्त नियंत्रक गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	--	--	--	--
42	निदेशक कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त काशीपुर ऊधम सिहं नगर।	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
43	निबन्धक सहकारी समितियां 125, ओल्ड नेहरू कालोनी देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण
44	आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी।	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड यमुना कालोनी देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
46	सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आशिक	नहीं	नहीं

47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग यमुना कालोनी देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण
48	निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री इण्डस्ट्रियल एरिया रामनगर रूड़की।	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
49	निदेशक उघोग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून ।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड देहरादून।	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं
51	निदेशक, नागारिक उड्डयन निदेशालय वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीड्रोम च्व्व् कुल्हान देहरादून 248013	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं
52	आयुक्त, परिवहन कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
53	आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग 8,ए बंगाली लाइब्रेरी रोड देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं
54	सचिव खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नहीं
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय 3/3 इण्डस्ट्रिल एरिया पटेल नगर देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56	प्रमुख वन सरंक्षक उत्तराखण्ड 87 राजपुर रोड़ देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	आंशिक	नहीं
57	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड पशुधन भवन पो0 मोथरोवाला	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	देहरादून।								
58	आयुक्त दुग्ध डेयरी डेवलेपमेन्ट विभाग उपनिदेशक डेयरी विकास विभाग संपर्क कार्यालय कैपस आंचल डेरी रायपुर देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
59	निदेशक मत्स्य उत्तराखण्ड बाड़ासी ग्रान्ट ग्राम घन्याडी रायपुर देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
60	निदेशक उद्यान निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
61	निदेशक रेशम निदेशालय प्रेमनगर देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
62	प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	--	--	--	--

(परिशिष्ट-6) पैरा-2.4

त्रैमासिक आय–व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची

1. आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, होम्योपैथी सेवायें, उत्तराखण्ड, ग्राम गुलराडा, पो0 डाण्डा, लखौड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई0 टी0 पार्क, देहरादून।
5. सचिव, आवास एवं नगर विकास, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।

(परिशिष्ट-7) पैरा-2.5
वर्ष 2018-19 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र.सं.	कोषागार	सूची	लेखा माह	प्राप्ति दिनांक	विलम्ब (दिन)
1	नैनीताल	2	जुलाई 2018	14.11.2018	6
		2	अक्टबूर 2018	13.11.2018	5
2	नई टिहरी	1	मार्च 2019	19.03.2019	2
		2	अक्टबूर 2018	14.11.2018	6
		2	नवम्बर 2018	12.12.2018	4
		2	जनवरी 2019	14.02.2019	6
		2	मार्च 2019	30.04.2019	12
3	पिथौरागढ़	1	अगस्त 2018	20.08.2018	3
		2	अक्टबूर 2018	12.11.2018	4
4	अल्मोड़ा	2	अक्टबूर 2018	12.11.2018	4
5	कोटद्वार	2	नवम्बर 2018	18.12.2018	10
6	उधम सिंह नगर	1	अगस्त 2018	20.08.2018	3
		2	दिसम्बर 2018	14.01.2019	6
7	रूद्रप्रयाग	2	फरवरी 2019	12.03.2019	4
8	नरेन्द्रनगर	2	मार्च 2019	26.04.2019	8
9	उत्तरकाशी	1	अगस्त 2018	20.08.2018	3

(परिशिष्ट-08) पैरा-3.1

वर्ष **2018-19** में निरीक्षण किये गये कोषागारों / उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार पिथौरागढ़	16.04.2018 से 23.04.2018
2	उपकोषागार थल	25.04.2018 से 27.04.2018
3	उपकोषागार मुन्स्यारी	30.04.2018 से 02.05.2018
4	उपकोषागार बेरीनाग	04.05.2018 से 07.05.2018
5	कोषागार चम्पावत	16.04.2018 से 23.04.2018
6	उपकोषागार डीडीहाट	25.04.2018 से 27.04.2018
7	उपकोषागार अस्कोट	28.04.2018 से 01.05.2018
8	उपकोषागार धारचूला	02.05.2018 से 04.05.2018
9	कोषागार अल्मोड़ा	07.05.2018 से 15.05.2018
10	उपकोषागार लमगड़ा	17.05.2018 से 19.05.2018
11	उपकोषागार ताकुला	21.05.2018 से 23.05.2018
12	कोषागार रानीखेत	14.05.2018 से 21.05.2018
13	उपकोषागार भिकियासैंण	23.05.2018 से 25.05.2018
14	उपकोषागार मोलेखाल	28.05.2018 से 30.05.2018
15	उपकोषागार चौखुटिया	01.06.2018 से 04.06.2018
16	कोषागार बागेश्वर	04.06.2018 से 12.06.2018
17	उपकोषागार गरूड़	13.06.2018 से 16.06.2018
18	उपकोषागार कपकोट	18.06.2018 से 20.06.2018
19	उपकोषागार काण्डा	21.06.2018 से 23.06.2018
20	कोषागार चमोली (गोपेश्वर)	11.06.2018 से 19.06.2018
21	उपकोषागार जोशीमठ़	20.06.2018 से 22.06.2018
22	उपकोषागार नारायणबगड	25.06.2018 से 27.06.2018
23	उपकोषागार थराली	28.06.2018 से 30.06.2018
24	कोषागार वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	02.07.2018 से 09.07.2018
25	कोषागार रूड़की	16.07.2018 से 23.07.2018
26	निदेशक कोषागार, देहरादून	30.07.2018 से 06.08.2018
27	कोषागार हरिद्वार	27.08.2018 से 04.09.2018
28	साईबर कोषागार, देहरादून	10.09.2018 से 17.09.2018
29	उपकोषागार त्यूनी	19.09.2018 से 21.09.2018
30	उपकोषागार चकराता	22.09.2018 से 25.09.2018
31	कोषागार देहरादून	10.09.2018 से 17.09.2018
32	उपकोषागार विकासनगर	22.09.2018 से 25.09.2018
33	उपकोषागार ऋषिकेश	27.09.2018 से 29.09.2018
34	कोषागार उत्तरकाशी	04.10.2018 से 11.10.2018
35	उपकोषागार भटवाड़ी	15.10.2018 से 17.10.2018
36	उपकोषागार डुण्डा	20.10.2018 से 23.10.2018
37	कोषागार पौड़ी	04.10.2018 से 16.10.2018

38	उपकोषागार राजगढ़ी (बड़कोट)	18.10.2018 से 22.10.2018
39	उपकोषागार पुरोला	24.10.2018 से 26.10.2018
40	कोषागार नैनीताल	22.10.2018 से 29.10.2018
41	उपकोषागार कालाढूँगी	31.10.2018 से 02.11.2018
42	कोषागार हल्द्वानी	26.11.2018 से 03.12.2018
43	उपकोषागार रामनगर	04.12.2018 से 06.12.2018
44	कोषागार नई टिहरी	26.11.2018 से 03.12.2018
45	उपकोषागार प्रतापनगर	05.12.2018 से 07.12.2018
46	कोषागार नरेन्द्रनगर	03.12.2018 से 11.12.2018
47	उपकोषागार घनसाली	13.12.2018 से 15.12.2018
48	कोषागार लैन्सडाउन	10.12.2018 से 17.12.2018
49	कोषागार कोटद्वार	07.01.2019 से 15.01.2019
50	कोषागार उधमसिंहनगर	28.01.2019 से 07.02.2019
51	उपकोषागार बाजपुर	08.02.2019 से 12.02.2019
52	उपकोषागार सितारगंज	14.02.2019 से 16.02.2019
53	उपकोषागार खटीमा	18.02.2019 से 20.02.2019
54	कोषागार रूद्रप्रयाग	06.03.2019 से 14.03.2019

(परिशिष्ट-09) पैरा- 3.2.1

नई पेंशन स्कीम के अर्न्तगत कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित धनराशि की कटौती नहीं करने वाले कोषागार/उपकोषागार

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	11	TM/TI/2018-19/SY-09
2	उपकोषागार अस्कोट	25	TM/TI/2018-19/SY-07
3	उपकोषागार धारचूला	26	TM/TI/2018-19/SY-08
4	कोषागार चम्पावत	42	TM/TI/2018-19/SY-05
5	उपकोषागार डीडीहाट	15	TM/TI/2018-19/SY-06
6	उपकोषागार पुरोला	5	TM/TI/2018-19/SY-39
7	उपकोषागार लमगड़ा	3	TM/TI/2018-19/SY-10
8	उपकोषागार भिकियासैंण	15	TM/TI/2018-19/SY-13
9	उपकोषागार चौखुटिया	4	TM/TI/2018-19/SY-15
10	कोषागार नैनीताल	6	TM/TI/2018-19/SY-40
11	कोषागार हल्द्वानी	6	TM/TI/2018-19/SY-42
12	कोषागार नई टिहरी	269	TM/TI/2018-19/SY-44
13	कोषागार लैन्सडाउन	14	TM/TI/2018-19/SY-48
14	कोषागार उत्तरकाशी	15	TM/TI/2018-19/SY-34
15	कोषागार रूड़की	10	TM/TI/2018-19/SY-25
	योग	**466**	

(परिशिष्ट-10) पैरा-3.2.3

कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करने की अवधि

क्र0 सं0	कोषागार/ उपकोषागार	विभाग का नाम	CCL/ DCL	को0 में प्राप्ति	को0 से जारी	धनराशि	विलम्ब (दिनों में)
1	कोषागार चमोली	केदारनाथ वन प्रयाग (3270)	CCL	30.11.2017	06.12.2017	4,00,000	6
			DCL	27.09.2017	04.10.2017	11,50,000	7
		बद्रीनाथ वन प्रयाग (3072)	CCL	30.11.2017	06.12.2017	8,50,000	6
		अलकनन्दा भू0व0सं0व0प्र0 गोपेश्वर (3077)	CCL	30.11.2017	06.12.2017	4,00,000	6
		सिंचाई विभाग चमोली (2104)	DCL	28.02.2018	05.03.2018	8,00,000	5
			CCL	29.11.2017	06.12.2017	42,66,000	7
		लघु सिचाई विभाग गोपश्वर (5045)	DCL	04.19.2017	13.09.2017	22,75,000	9
			DCL	18.04.2017	04.05.2017	23,50,000	16
2	उपकोषागार जोशीमठ़	उपवन संरक्षक नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ (3313)	CCL	19.05.2016	23.05.2016	3,00,000	4
			CCL	20.07.2017	31.07.2017	10,000	11
			CCL	10.01.2018	17.01.2018	3,80,000	6
			DCL	07.03.2018	15.03.2018	11,70,000	8
3	कोषागार रूद्रप्रयाग	4071 ग्रा0अ0 सेवा	DCL	24.04.2017	06.05.2017	3,74,73,600	13
			DCL	16.05.2017	31.05.2017	79,23,000	16
			DCL	23.01.2018	06.03.2018	1,47,81,500	15
		3297 प्रभागीय वनाधिकारी	DCL	16.02.2018	24.02.2018	3,75,000	9
		1919 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0	DCL	26.05.2017	17.07.2017	5,50,000	23
			DCL	05.08.2017	28.09.2017	1,02,04,000	45
		1899 अधि0अमि0 पी0एम0जी0एस0वा0 (सिंचाई खण्ड)	DCL	16.12.2017	20.01.2018	6,88,500	36
			DCL	21.07.2017	05.08.2017	19,65,000	16

(परिशिष्ट-11) पैरा- 3.2.4

उच्च अधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषागारों में समय से निरीक्षण नहीं करने का विवरण

कोषागार/ उपकोषागार	उच्चाधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण की तिथि			लम्बित निरीक्षण की अवधि (वर्षों में)		
	जिला. अधिकारी/ उपजिला अधिकारी	निदेशक/ अपर निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी	जिला. अधिकारी/ उपजिला अधिकारी	निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी
कोषागार अल्मोड़ा	23.04.2008	28.11.2015	--	11	3	--
कोषागार रानीखेत	07.08.2007	25.04.2008	--	11	11	--
उपकोषागार कालाढूँगी	12.03.2015	13.10.2015	--	4	3	--
कोषागार नैनीताल	30.09.2018	29.09.2015	--	--	3	--
कोषागार हल्द्वानी	2013-14	2013-14	2013-14	5	5	5
उपकोषागार देवप्रयाग	--	--	17.05.2016	--	--	3
कोषागार उत्तरकाशी	27.09.2015	05.12.2015	--	3	3	--
साईबर कोषागार	--	03.12.2016	--	--	2	--
कोषागार देहरादून	31.03.2014	--	--	5	--	--
कोषागार रूड़की	22.12.2007	28.02.2008	--	11	11	--
कोषागार कोटद्वार	16.10.2014	--	--	4	--	--
वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	--	29.06.2016	--	--	2	--

(परिशिष्ट-12) पैरा-3.2.5.5

स्वयं के पक्ष में निर्गत चैक द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा (कोषागार वार)

कोषागार/उपकोषागार	शासकीय इकाई का नाम	बिल अवधि एवं माह	राशि (₹में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
कोषागार पौडी	जिला पंचायत पौड़ी	4/2017 से 3/2018	6,56,20,171	TM/TI/2018-19/SY-37
	नगर पालिका पौड़ी		3,74,10,864	
कोषागार ऊधमसिंह नगर	जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर	2017-18	13,78,09,000	TM/TI/2018-19/SY-50
उपकोषागार बाजपुर	नगर पालिका परिषद बाजपुर	1/2018	3,68,986	TM/TI/2018-19/SY-51
उपकोषागार सितारगंज	अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका सितारगंज	08/18 से 09/18	2,60,765	TM/TI/2018-19/SY-52
उपकोषागार खटीमा	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खटीमा	2017-18	2,99,72,819	TM/TI/2018-19/SY-53
योग			**27,14,42,605**	

(परिशिष्ट-13) पैरा- 3.2.7

सामान्य भविष्य निधि के कालातीत प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	अभिदाताओं की संख्या	प्राधिकार पत्र की राशि ₹(में)
1	उपकोषागार धारचूला	1	66,716
2	उपकोषागार कालाढूँगी	3	4,07,733
3	कोषागार नैनीताल	1	85,141
4	कोषागार लैन्सडाउन	3	2,57,973
5	कोषागार हरिद्वार	1	2,59,622
6	कोषागार कोटद्वार	7	3,54,331
7	कोषागार उधम सिंह नगर	1	16,042
	योग	**17**	**14,47,558**

(परिशिष्ट-14) पैरा- 3.2.8

कोषागारों के द्वितालक कक्ष में अनुपयोगी चैक बुकों का अनावश्यक भण्डारण का ब्यौरा

क्रम सं0	कोषागार का नाम	विभाग का नाम	चैक/ बुक
01	अल्मोड़ा	फोरेस्ट सी0सी0एल	45 बुक 70 चैक
		फोरेस्ट डी0सी0एल0	28 बुक 92 चैक
		पी0डब्लू0डी0 सी0सी0एल0	13 बुक 390 चैक
		पी0डब्लू0डी0 डी0सी0एल0	26 बुक 211 चैक
		सिचाई सी0सी0एल0	33 बुक 72 चैक
		सिचाई डी0सी0एल0	32 बुक 11 चैक
		आर0ई0एस0 डी0सी0एल0	06 बुक
		एम0आई0 डी0सी0एल0	9 बुक
		एम0आई0 सी0सी0एल0	9 बुक
		पी0एल0ए0 चैक	24 बुक 235 चैक
		आई0पी0ओ0 बुक	17 बुक
		उ0प्र0 कोषागार चैक	350 चैक
02	नैनीताल	पी0एल0ए0	79 चैक बुक
		कम्प्यूटर	9000 चैक
		सी0सी0एल0 (फोरेस्ट)	20 चैक बुक
		लघु सिंचाई (सी0सी0एल0)	121 चैक बुक
		लघु सिंचाई (डी0सी0एल0)	12 चैक बुक
		फॉरेस्ट (डी0सी0एल0)	24 चैक बुक
		सिंचाई (सी0सी0एल0)	26 चैक बुक
		सिंचाई (डी0सी0एल0)	28 चैक बुक
		पी0डब्ल्यू0डी0 (सी0सी0एल0)	02 चैक बुक
		पी0डब्ल्यू0डी0 (डी0सी0एल0)	22 चैक बुक
		आर0आई0 एस0 (सी0सी0एल0)	20 चैक बुक
		आर0आई0 एस0 (डी0सी0एल0)	22 चैक बुक
03	हल्द्वानी	सिंचाई (सी0सी0एल0)	18 चैक
		सिंचाई (डी0सी0एल0)	24 चैक
		पी0डब्ल्यू0डी0 (सी0सी0एल0)	06 चैक
		पी0डब्ल्यू0डी0 (डी0सी0एल0)	22 चैक
		फोरेस्ट सी0सी0एल	51 चैक
		पी0एल0ए0	09
		Try Major Cheques	16500
04	उत्तरकाशी	आर0ई0एस0 सी0सी0एल0	09
		आर0ई0एस0 डी0सी0एल0	37
		फोरेस्ट सी0सी0एल	16
		फॉरेस्ट (डी0सी0एल0)	13
		सिंचाई (सी0सी0एल0)	18
		सिंचाई (डी0सी0एल0)	19
		लघु सिंचाई (सी0सी0एल0)	11
		लघु सिंचाई (डी0सी0एल0)	19
		पी0डब्ल्यू0डी0 (सी0सी0एल0)	10
		पी0डब्ल्यू0डी0 (डी0सी0एल0)	10

		पी0एल0ए0	19
05	रूद्रप्रयाग	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (डी0सी0एल0)	500
		वन विभाग (सी0सी0एल0)	1200
		वन विभाग (डी0सी0एल0)	800
		लोक निर्माण विभाग (सी0सी0एल0)	400
		लोक निर्माण विभाग (डी0सी0एल0)	600
		पी0एल0ए0 चैक	200

(परिशिष्ट-15) पैरा- 3.2.9

द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमुल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं कराने वाले कोषागारों की तालिका

क0 सं0	कोषागार	बहुमुल्य वस्तु संबंधित विभाग/प्राधिकारी	वस्तु का प्रकार	अन्तिम बार सत्यापन का दिनांक
1	नैनीताल	कोषाधिकारी नैनीताल	3 सीलड पैकेट	19.09.2016
		जिलाधिकारी नैनीताल	3 सीलड पैकेट	19.09.2016
		कोषाधिकारी नैनीताल	1 सीलड पैकेट	19.09.2016
		पुलिस अधीक्षक सी0बी0आई0 लखनऊ	1 सीलड पैकेट	19.09.2016
		अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नैनीताल	1 सीलड पैकेट कैश चैस्ट चाबी का	19.09.2016
		जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1 सीलड लिफाफा	19.09.2016
		अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन नैनीताल	1 सीलड बक्सा एवं 1 सीलड चाबी का पैकेट	19.09.2016
		जिलाधिकारी नैनीताल	2 सीलड बक्से	19.09.2016
		जिलाधिकारी नैनीताल/कोषाधिकारी नैनीताल	1 सीलड बक्सा	19.09.2016
		सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपजिलाधिकारी कोश्याकुटोली	1 सीलड पैकेट मतपत्र का	19.09.2016
		जिलाधिकारी नैनीताल	अभिलेख/मतपत्र का 1 सीलड पैकेट	19.09.2016
		मुख्यचिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रय गोष्ठिया	1 सीलड पैकेट चाबियों	19.09.2016
		वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल	1 सीलड पैकेट	19.09.2016
		मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल	1 सीलड पैकेट	19.09.2016
		निरीक्षक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमा0 मण्डल	1 सीलड पैकेट केशचैस्ट चाबी का	19.09.2016
		प्रभारी अधिकारी भूलेखकृते जिलाधिकारी	1 सीलड बण्डल	19.09.2016
			1 सीलड पैकेट	19.09.2016
		अधिशासी अभियन्ता निर्माण पी0डब्ल्यू0 डी0	1 सीलड पैकेट कैश चेस्ट कि चाबी का	20.09.2016
		अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रामनगर		20.09.2016
		अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, नैनीताल	एक सीलड पैकेट चाबियों	20.09.2016
		द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नैनीताल	1 सीलड पैकेट	17.01.2017
				20.01.2017
		मा0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	2 सीलड पैकेट	09.05.2017

		नैनीताल		
2	हल्द्वानी	सी0टी0 मजिस्ट्रेट हल्द्वानी	सील्ड उत्तर पुस्तिकाएँ चतुर्थ श्रेणी परीक्षा	13.12.1998
			2 उत्तर पुस्तिकाएँ चतुर्थ श्रेणी परीक्षा	13.12.1998
		जिला परीवीक्षा अधिकारी	टीन बॉक्स	13.01.1992
		तहसीलदार हल्द्वानी	एक महत्वपूर्ण सील्ड पैकेट वाद सं0 30/201/30/202 तल्ली हल्द्वानी	13.12.1995
			सील्ड पैकेट–पटवारी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित	02.05.2012
		City Magistrate Haldwani	सं0 1295/आर0ए0/2010, दिनांक 21.09.10 एक छोटा टीन बक्सा (रामलीला चुनाव से संबंधित मत पत्र)	21.09.2010
		उप सतर्कता अधिकारी हल्द्वानी	जि0अ0 नैनीताल आदेश संख्या ज्ञाप/ 15 ए0जे0ए0 दिनांक 25.01.13, सील्ड बक्सा जिसमें सोना चॉदी, रिवाल्वर एवं बहुमूल्य वस्तुएँ	25.01.2013
		एस0एच0ओ0 कालाढूंगी	रिपोर्ट थाना कालाढूंगी नैनीताल के पत्रानुसार एक मंगल सूत्र गोल छोटे डिब्बे में	21.02.2013
		S.D.M. Haldwani	स0 567/पंचास्याजी न0नि0 दि0 07.04.14 नगर निगम के उपचुनाव के उपरान्त 3 सील्ड बक्से	20.11.2014
		रिटर्निंग ऑफिस (56) विधानसभा लाल कुआ	सा0नि0वि0 / 2017 दिनांक 04.02.2017 बैलेट पेपर के 2 सील्ड बक्से	04.02.2017
3	लैन्सडाउन	खण्ड विकास अधिकारी, द्वारी खाल	दो सील्ड बक्से जिसमें पंचायत चुनाव से सम्बन्धित बैलेट पंजिका संख्या 3	27.04.2012
		खण्ड विकास अधिकारी जयहरिखाल	एक सील्ड पैकेट जिसमें चाबियाँ पंजिका संख्या 4	04.06.2015
		सिविल जल, जूनियर डिविजन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैंसडाउन	एक सील्ड पैकेट जिसमे 2 सोने की अंगूठी पंजिका संख्या 8	27.05.2016
		सहायक अभियोजन अधिकारी, लैंसडाउन	एक सील्ड बक्सा पंजिका संख्या 11/9	06.08.2016
4	देहरादून	जूडीशियल मजिस्ट्रेट	01 सील्ड बैग	17.01.1985

		आर0के0जैन जूडीशियल मजिस्ट्रेट देहरादून	02 सीलड बैग	25.08.1986
		श्री पी0के0जैन जूडीशियल मजिस्ट्रेट देहरादून	01 सीलड बैग	25.08.1986
		जूडीशियल मजिस्ट्रेट	02 सीलड बैग	13.11.1987
		श्री डी0पी0गर्ग जिला जज,	01 सीलड बैग	04.10.1991
		संयुक्त निदेशक, शिक्षा गढ़वाल मण्डल, देहरादून	01 सीलड बैग	21.08.1995
		जिला प्रौढ़ शिक्षा अधि0	01 सीलड बैग	03.08.1996
		अधिशासी अभियन्ता टिहरी बांध खण्ड–4 देहरादून	01 सीलड बैग	15.01.1998
		अपर जिला मजिस्ट्रेट सदर, देहरादून	01 सीलड बैग	17.04.2000
		अपर नगर मजिस्ट्रेट	01 सीलड बैग	23.08.2003
		अपर जिलाधिकारी देहरादून	01 सीलड बैग	06.10.2003
			10 सीलड बैग	26.05.2005
			01 सीलड बैग	28.05.2005
			01 सीलड बैग	01.05.2008
		खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला	01 सीलड बैग	01.09.2009
		अपर जिलाधिकारी वि0रा0, देहरादून	01 सीलड बैग	01.12.2008
			04 सीलड बैग	08.12.2009
			01 सीलड बैग	16.12.2009
		प्रभारी निरीक्षक कोतवाली	01 सीलड बैग	20.11.2010
		निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं देहरादून	एक सीलड लिफाफा	11.03.2011
		अधि सिविल निर्माण खण्ड–II देहरादून	एक सीलड पैकेट	09.05.2013
		मुख्य कृषि अधिकारी	एक सीलड पैकेट	16.05.2013
		थानाध्यक्ष जी0आर0पी0,	एक सीलड पैकेट	15.05.2015
		महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून	एक सीलड पैकेट	17.17.2015
		जिलाधिकारी, देहरादून	एक सीलड पैकेट	27.07.2015
5	रूद्रप्रयाग	पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग	एक सीलड पैकेट	18.06.2015
		उपवन संरक्षक वन प्रभाग	दो सीलड बन्द लिफाफे	17.06.2015

(परिशिष्ट-16) पैरा- 3.3.1
पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण

(₹में)

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार /	पेंशनर की संख्या	देय राशि			कुल देय राशि	भुगतानित राशि			कुल भुगतानित राशि (8) (5+6+7)	अंतर (देय-भुगतानित) (4-8)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
			राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)	(4) (1+2+3)	राशिकरण (5)	उपादान (6)	पेंशन (7)			
1	चमोली	1		349920		3,49,920		3,34,368		3,34,368	15,552	SY-20
2	थराली	5		2452648		24,52,648		23,78,486		23,78,486	74,162	SY-23
3	भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	1		1560702		15,60,702		15,31,530		15,31,530	29,172	SY-24
4	नारायणबगड	1	7,56,534			7,56,534	7,65,975			7,65,975	-9,441	SY-22
		3	12,81,331			12,81,331	12,69,494			12,69,494	11,837	
		2		11,27,507		11,27,507		10,75,561		10,75,561	51,946	
5	अस्कोट	1		6,41,025		6,41,025		6,34,920		6,34,920	6,105	SY-07
6	बागेश्वर	4				0				0	2,76,709	SY-16
		3				0				0	3,96,914	
		8		63,89,311		63,89,311		62,78,244		62,78,244	1,11,067	
		2				0				0	8,852	
7	जोशीमठ़	1		4,64,797		4,64,797		4,44,215		4,44,215	20,582	SY-21
		1			5,90,498	5,90,498			5,83,872	5,83,872	6,626	
8	धारचूला	2		17,33,493		17,33,493		16,67,584		16,67,584	65,909	SY-08
9	चम्पावत	2		15,74,111		15,74,111		15,52,600		15,52,600	21,511	SY-05
10	थल	1		72,191		72,191		70,763		70,763	1,428	SY-02
11	मुंस्यारी	1		9,40,960		9,40,960		9,15,860		9,15,860	25,100	SY-03
12	राजगढ़ी (बड़कोट)	4		23,98,142		23,98,142		23,17,097		23,17,097	81,045	SY-38
		1		13,01,415		13,01,415		13,25,850		13,25,850	-24,435	
		1			6,90,982	6,90,982			7,11,611	7,11,611	-20,629	

13	चकराता	2		6,19,011		6,19,011		6,07,246		6,07,246	11,765	SY-30
14	ऋषिकेश	1			6,80,790	6,80,790			13,45,508	13,45,508	-6,64,718	SY-33
		2	31,56,329			31,56,329	31,17,424			31,17,424	38,905	
15	विकासनगर	1		4,06,800		4,06,800		3,92,419		3,92,419	14,381	SY-32
		1			2,52,516	2,52,516			2,94,252	2,94,252	-41,736	
		1			1,08,000	1,08,000			88,290	88,290	19,710	
		1	12,23,200			12,23,200	12,08,123			12,08,123	15,077	
		3		25,84,413		25,84,413	25,39,068			25,39,068	45,345	
16	पुरोला	6		26,82,163		26,82,163		25,92,231		25,92,231	89,932	SY-39
		1			17,320	17,320			45,483	45,483	-28,163	
17	भटवाड़ी	1		6,34,920		6,34,920		6,22,710		6,22,710	12,210	SY-35
18	डुण्डा	1		4,90,347		4,90,347		4,76,916		4,76,916	13,431	SY-36
19	भिकियासैंण	1	4,39,353			4,39,353	4,44,836			4,44,836	-5,483	SY-13
		1		7,78,048		7,78,048		7,56,128		7,56,128	21,920	
20	चौखुटिया	5		31,20,947		31,20,947		35,87,465		35,87,465	-4,66,518	SY-15
21	गरूड़	3		74,275		74,275		1,77,300		1,77,300	-1,03,025	SY-17
		3		42,30,564		42,30,564		41,49,207		41,49,207	81,357	
		3			87,090	87,090			55,425	55,425	31,665	
22	कपकोट	3			3,93,816	3,93,816			8,60,113	8,60,113	-4,66,297	SY-18
		4			19,84,606	19,84,606			18,77,660	18,77,660	1,06,946	
		3		15,40,264		15,40,264		14,82,620		14,82,620	57,644	
23	काण्डा	1			43,806	43,806			9,645	9,645	34,161	SY-19
		1			3,73,068	3,73,068			3,73,962	3,73,962	-894	
		2		20,96,451		20,96,451		20,66,595		20,66,595	29,856	
24	रानीखेत	1		13,78,388		13,78,388		13,66,147		13,66,147	12,241	SY-12
		9			1,87,848	1,87,848			0	0	1,87,848	
25	कालाढूँगी	2		16,62,045		16,62,045		16,36,305		16,36,305	25,740	SY-41
26	रामनगर	1	12,97,930			12,97,930	12,81,931			12,81,931	15,999	SY-43
		6		46,21,804		46,21,804		45,36,398		45,36,398	85,406	
27	बागेश्वर	5				0				0	2,76,709	SY-16
		3			19,78,248	19,78,248			23,50,977	23,50,977	-3,72,729	
		9		67,53,727		67,53,727		66,35,652		66,35,652	1,18,075	

28	नैनीताल	10		1,06,67,973		1,06,67,973		1,04,58,502		1,04,58,502	2,09,471	SY-40
29	हल्द्वानी	1		17,12,568		17,12,568		17,08,576		17,08,576	3,992	SY-42
		1	19,62,627			19,62,627	19,38,435			19,38,435	24,192	
		7		88,66,927		88,66,927		87,03,140		87,03,140	1,63,787	
30	नरेन्द्रनगर	2			13,08,269	13,08,269			14,40,735	14,40,735	-1,32,466	SY-46
		2		28,50,507		28,50,507		27,96,453		27,96,453	54,054	
31	नई टिहरी	5		53,78,515		53,78,515		52,76,324		52,76,324	1,02,191	SY-44
		4		3,11,333		3,11,333		7,77,109		7,77,109	-4,65,776	
		2			21,55,587	21,55,587			24,89,732	24,89,732	-3,34,145	
32	लैन्सडाउन	2	21,69,509			21,69,509	21,42,768			21,42,768	26,741	SY-48
		1		11,65,230		11,65,230		11,43,450		11,43,450	21,780	
33	पौड़ी गढ़वाल	8			15,80,120	15,80,120			24,97,457	24,97,457	-9,17,337	SY-37
		8		53,24,882		53,24,882		51,85,451		51,85,451	1,39,431	
		1		6,63,746		6,63,746		6,93,149		6,93,149	-29,403	
34	साईबर टेजरी	4		46,74,384		46,74,384		45,84,472		45,84,472	89,912	SY-28
35	निदेशाक कोषागार	13		52,76,086		52,76,086		51,33,150		51,33,150	1,42,936	SY-26
		2		4,08,392		4,08,392		4,19,958		4,19,958	-11,566	
36	देहरादून	2		19,37,595		19,37,595		18,92,493		18,92,493	45,102	SY-31
		2	37,57,808			37,57,808	37,32,490			37,32,490	25,318	
		8			40,44,940	40,44,940			43,83,716	43,83,716	-3,38,776	
37	पिथौरागढ़	2		9,37,943		9,37,943		7,00,079		7,00,079	2,37,864	SY-01
38	उधमसिंह नगर	1		6,53,796		6,53,796		6,41,223		6,41,223	12,573	SY-50
39	बाजपुर	1		2,48,088		2,48,088		2,41,284		2,41,284	6,804	SY-51
40	मोलेखाल	4		21,84,334		21,84,334		21,05,076		21,05,076	79,258	SY-14
41	रूद्रप्रयाग	2		13,16,944		13,16,944		12,83,720		12,83,720	33,224	SY-54
	योग	**227**	**1,60,44,621**	**10,92,59,632**	**1,64,77,504**	**14,17,81,757**	**1,84,40,544**	**10,53,56,026**	**1,94,08,438**	**14,32,05,008**		

Note:- (-) Indicate Excess Payment

(परिशिष्ट-17) पैरा- 3.3.2

सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को कार्यालय डी0पी0डी0ओ0 देहरादून/ बैंक को हस्तान्तरित न करना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	सैनिक पेंशनर
1	अल्मोड़ा	16
2	चम्पावत	3
3	बेरीनाग	2
4	लैन्सडाउन	161
5	रूड़की	8
6	कोटद्वार	33
	योग	**223**

(परिशिष्ट-18) पैरा- 3.3.3

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ नहीं दिया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	राशि	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार चमोली	2	त्रिपुरा	3,250	SY-20
2	उपकोषागार अस्कोट	2	बिहार	12,000	SY-07
3	उपकोषागार थराली	2	नागालैण्ड	4,000	SY-23
4	उपकोषागार नारायणबगड	2	त्रिपुरा	7,000	SY-22
5	कोषागार बागेश्वर	5	बिहार	29,550	SY-16
		3	राजस्थान	--	
		2	पश्चिम बंगाल	--	
6	कोषागार चम्पावत	1	मेघालय	1,200	SY-05
		1	बिहार	4,000	
7	उपकोषागार डीडीहाट	6	बिहार	25,000	SY-06
8	उपकोषागार थल	6	बिहार	--	SY-02
9	उपकोषागार बेरीनाग	1	बिहार	4,800	SY-04
10	उपकोषागार विकासनगर	1	बिहार	--	SY-32
		1	आन्ध्र प्रदेश	--	
		2	पंजाब	--	
		1	त्रिपुरा	--	
11	उपकोषागार डुण्डा	8	हरियाणा	16,000	SY-36
		1	त्रिपुरा	3,750	
12	उपकोषागार चौखुटिया	1	पश्चिम बंगाल	24,000	SY-15
		1	हरियाणा	13,000	
13	उपकोषागार गरूड़	4	बिहार	26,592	SY-17
		1	आसाम	6,500	
14	उपकोषागार कपकोट	3	बिहार	18,468	SY-18
		1	अरूणाचल प्रदेश	7,400	
15	उपकोषागार काण्डा	9	बिहार	53,190	SY-19
16	कोषागार रानीखेत	3	अरूणाचल प्रदेश	7,200	SY-12
17	उपकोषागार कालाढूँगी	1	बिहार	4,000	SY-41
18	उपकोषागार रामनगर	4	बिहार	41,600	SY-43
		1	नागालैण्ड	3,600	
		11	हरियाणा	33,000	
		2	अरूणाचल प्रदेश	21,000	
		1	मेघालय	2,800	
19	कोषागार नैनीताल	1	नागालैण्ड	--	SY-40
20	उपकोषागार हल्द्वानी	2	मेघालय	7,200	SY-42
		32	अरूणाचल प्रदेश	1,28,000	
		20	हरियाणा	70,000	
		4	नागालैण्ड	17,600	

		9	बिहार	79,200	
21	कोषागार नई टिहरी	62	हरियाणा	31,000	SY-44
		1	नागालैण्ड	4,000	
		2	बिहार	22,734	
22	कोषागार उत्तरकाशी	1	नागालैण्ड	3,600	SY-34
		1	बिहार	9,094	
		1	त्रिपुरा	4,500	
23	कोषागार पौड़ी गढ़वाल	1	पंजाब	1,000	SY-37
		1	हरियाणा	--	
		1	हरियाणा	2,500	
		1	अरूणाचल प्रदेश	3,000	
		3	बिहार	27,330	
		1	नागालैण्ड	3,200	
24	कोषागार देहरादून	2	आन्ध्र प्रदेश	--	SY-31
		1	बिहार	--	
		2	पश्चिम बंगाल	--	
		1	पंजाब	--	
		9	हिमाचल प्रदेश	--	
25	कोषागार रूड़की	2	बिहार	11,200	SY-25
26	कोषागार कोटद्वार	28	हरियाणा	--	SY-49
27	कोषागार उधमसिंहनगर	4	हरियाणा	16,000	SY-50
		1	आसाम	--	
		1	बिहार	11,510	
		1	अरूणाचल प्रदेश	10,000	
28	उपकोषागार बाजपुर	1	हरियाणा	4,500	SY-51
29	उपकोषागार सितारगंज	1	हरियाणा	3,000	SY-52
		1	बिहार	12,188	
30	उपकोषागार खटीमा	8	अरूणाचल प्रदेश	--	SY-53
		1	हरियाणा	4,500	
		3	मेघालय	39,000	
		15	नागालैण्ड	--	
		1	त्रिपुरा	5,500	
31	उपकोषागार मोलेखाल	1	जम्मू और कश्मीर	42,000	SY-14
	योग	**323**			

(परिशिष्ट-19) पैरा- 3.3.4

10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

क्र.सं.	कोषागार/उपकोषागार	पेंशनरस की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार चमोली (गोपेश्वर)	03	TM/TI/2018-19/SY-20
2	उपकोषागार भटवाड़ी	01	TM/TI/2018-19/SY-35
3	उपकोषागार चौखुटिया	01	TM/TI/2018-19/SY-15
योग		**05**	

(परिशिष्ट-20) पैरा- 3.3.5

सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनरों की संख्या	विवरण हेतु निम्न निरीक्षण आख्या का सन्दर्भ लें
1	कोषागार अल्मोड़ा	10	TM/TI/2018-19/SY-09
2	कोषागार चमोली (गोपेश्वर)	3	TM/TI/2018-19/SY-20
3	उपकोषागार थराली	4	TM/TI/2018-19/SY-23
4	कोषागार वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	2	TM/TI/2018-19/SY-24
5	उपकोषागार नारायणबगड	2	TM/TI/2018-19/SY-22
6	कोषागार बागेश्वर	1	TM/TI/2018-19/SY-16
7	उपकोषागार डुण्डा	3	TM/TI/2018-19/SY-36
8	उपकोषागार गरूड़	6	TM/TI/2018-19/SY-17
9	कोषागार नैनीताल	8	TM/TI/2018-19/SY-40
10	कोषागार नरेन्द्रनगर	6	TM/TI/2018-19/SY-46
11	कोषागार नई टिहरी	6	TM/TI/2018-19/SY-44
12	कोषागार लैन्सडाउन	4	TM/TI/2018-19/SY-48
13	कोषागार उत्तरकाशी	10	TM/TI/2018-19/SY-35
14	कोषागार हरिद्वार	2	TM/TI/2018-19/SY-27
15	कोषागार पौड़ी	12	TM/TI/2018-19/SY-37
16	कोषागार देहरादून	8	TM/TI/2018-19/SY-31
17	कोषागार रूड़की	6	TM/TI/2018-19/SY-25
18	कोषागार कोटद्वार	136	TM/TI/2018-19/SY-49
19	कोषागार उधमसिंहनगर	9	TM/TI/2018-19/SY-50
20	उपकोषागार बाजपुर	3	TM/TI/2018-19/SY-51
21	उपकोषागार सितारगंज	1	TM/TI/2018-19/SY-52
22	उपकोषागार खटीमा	27	TM/TI/2018-19/SY-53
23	उपकोषागार मोलेखाल	3	TM/TI/2018-19/SY-14
24	कोषागार रूद्रप्रयाग	42	TM/TI/2018-19/SY-54
	योग	314	

(परिशिष्ट-21) पैरा-3.3.6

पेंशनरों से स्रोत पर आयकर की कटौती न किये जाने की तालिका

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	देय आयकर+ सैस कटौती (₹ में)	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	8	52,897	TM/TI/2018-19/SY-09
2	कोषागार बागेश्वर	3	26,457	TM/TI/2018-19/SY-16
3	कोषागार चम्पावत	1	23,388	TM/TI/2018-19/SY-05
4	उपकोषागार डीडीहाट	1	13,340	TM/TI/2018-19/SY-06
5	उपकोषागार राजगढ़ी (बड़कोट)	2	3,354	TM/TI/2018-19/SY-38
6	उपकोषागार ताकुला	1	4,261	TM/TI/2018-19/SY-11
7	उपकोषागार भिकियासैंण	1	5,002	TM/TI/2018-19/SY-13
8	उपकोषागार रामनगर	6	81,900	TM/TI/2018-19/SY-43
9	कोषागार नैनीताल	12	1,43,079	TM/TI/2018-19/SY-40
10	कोषागार हल्द्वानी	11	7,79,932	TM/TI/2018-19/SY-42
11	कोषागार नई टिहरी	5	1,66,646	TM/TI/2018-19/SY-44
12	कोषागार हरिद्वार	5	1,33,477	TM/TI/2018-19/SY-27
	योग	**56**	**14,33,733**	

(परिशिष्ट-22) पैरा- 3.3.7

डाटा बेस में पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

क्रम सं0	कोषागार / उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार अल्मोड़ा	10	TM/TI/2018-19/SY-09
2	उपकोषागार अस्कोट	5	TM/TI/2018-19/SY-07
3	उपकोषागार थराली	22	TM/TI/2018-19/SY-23
4	उपकोषागार नारायणबगड	9	TM/TI/2018-19/SY-22
5	उपकोषागार धारचूला	5	TM/TI/2018-19/SY-08
6	उपकोषागार डीडीहाट	5	TM/TI/2018-19/SY-06
7	उपकोषागार थल	12	TM/TI/2018-19/SY-02
8	उपकोषागार बेरीनाग	21	TM/TI/2018-19/SY-04
9	उपकोषागार मुन्स्यारी	31	TM/TI/2018-19/SY-03
10	उपकोषागार चकराता	14	TM/TI/2018-19/SY-30
11	उपकोषागार विकासनगर	6	TM/TI/2018-19/SY-32
12	उपकोषागार भटवाड़ी	14	TM/TI/2018-19/SY-35
13	उपकोषागार लमगड़ा	5	TM/TI/2018-19/SY-10
14	उपकोषागार चौखुटिया	1	TM/TI/2018-19/SY-15
15	उपकोषागार गरूड़	4	TM/TI/2018-19/SY-17
16	उपकोषागार काण्डा	4	TM/TI/2018-19/SY-19
17	उपकोषागार रामनगर	5	TM/TI/2018-19/SY-43
18	कोषागार नैनीताल	10	TM/TI/2018-19/SY-40
19	कोषागार हल्द्वानी	24	TM/TI/2018-19/SY-42
20	कोषागार नरेन्द्रनगर	19	TM/TI/2018-19/SY-46
21	कोषागार नई टिहरी	25	TM/TI/2018-19/SY-44
22	कोषागार उत्तरकाशी	12	TM/TI/2018-19/SY-34
23	कोषागार रूड़की	5	TM/TI/2018-19/SY-25
24	उपकोषागार मोलेखाल	7	TM/TI/2018-19/SY-14
	योग	**275**	